सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

स्कूल सुरक्षा नीति

फरवरी 2016

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

स्कूल सुरक्षा नीति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – स्कूल सुरक्षा नीति
का एक प्रकाशन :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
भारत सरकार,
एनडीएमए भवन,
ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली – 110029

आईएसबीएन : 978-93-84792-01-5

फरवरी, 2016

इस पुस्तक का संदर्भ देते हुए, निम्नलिखित उद्धरण का उपयोग किया जाना चाहिए :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश – स्कूल सुरक्षा नीति – फरवरी 2016 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का एक प्रकाशन।

आई एस बी एन : 978-93-84792-01-5
फरवरी, 2016, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन दिशानिर्देश

स्कूल सुरक्षा नीति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण के से एक व्यापक स्कूल सुरक्षा नीति तैयार की है और आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है।

मुझे विश्वास है कि, यह दस्तावेज स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

इस अबसर पर, मैं एनडीएमए को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

ह/.

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली

22 जनवरी, 2016

विषय-सूची

पेज नं.

कार्यकारी सारांश vii

1.0 परिचय **1**

1.1 बच्चों के अस्तित्व पर एक बडे खतरे के रूप में आपदाएँ 3

1.2 स्कूल सुरक्षा को समझना 3

1.3 राष्ट्रीय नीति प्रपत्र 4

1.4 दिशानिर्देश का कार्यक्षेत्र 4

2.0 **दिशानिर्देश की दूरदृष्टि, दृष्टिकोण तथा उद्देश्य** **5**

2.1 दूरदृष्टि 7

2.2 सुरक्षित स्कूलों हेतु मुख्य चुनौतियॉं 7

2.3 दृष्टिकोण 8

2.4 नीति दिशानिर्देश के उद्देश्य 8

3.0 कार्य क्षेत्र- **9**

3.1 बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षित वातावरण के लिए संस्थागत प्रतिबंद्धता को सुदृढ़ करना 11

3.2 सुरक्षा हेतु योजना बनाना 12

3.3 सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन 14

3.4 सुरक्षित स्कूलों हेतु क्षमता निर्माण 16

3.5 जोखिम की नियमित मॉनिटरिंग तथा योजना का दोहराव 18

4.0 विभिन्न हितधारकों दारियॉंकी भूमिकाएँ और जिम्मे (र्सकहोल्डस्टे) **19**

4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (एसडीएमएए) 21

4.2 राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरणों को सक्षम करे, (डीडीएमए) 21

4.3 राष्ट्र स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण 21

4.4 राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण 22

4.5 जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण 22

पेज नं.

4.6 एससीईआरटी और डीआईईटीएस 22

4.7 स्कूल प्रशासन 23

4.8 स्कूलों के लिए मान्यता देना और पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण 23

4.9 पंचायती राज संस्थाएँ/सहकारी स्थानीय निकाय तथा संबद्ध विभाग 23

4.10 स्कूली बच्चे 23

4.11 गैर-सरकारी संगठन (स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतराष्ट्रीय) 24

4.12 निगमित निकाय 24

4.13 अन्तराष्ट्रीय वित्त पोषिक एजेंसिया और संयुक्त राष्ट्र 24

4.14 मीडिया 24

5.0 हितधारकों के लिए कार्य बिंदु 25

5.1 राष्ट्रीय स्तर 27

5.2 राज्य स्तर 27

5.3 जिला स्तर 28

5.4 स्कूल स्तर 30

अनुबंध 33

1 आपदा में मौतों की संख्या और स्कूल आधारढांचे को हुई क्षति पर आशुचित्र–वैश्विक और राष्ट्रीय 35

2 भारत में स्कूल सुरक्षा पर प्रयास 36

3 प्रशिक्षण 40

4 एक सुरक्षा दृष्टि के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए राज्य राष्ट्रीय एकीकृत संरचनाएँ 41

5 एक सुरक्षा दृष्टि के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए जिला राष्ट्रीय एकीकृत संरचनाएँ 42

6 स्कूली की बिल्डिंगों के विशेष विवरण 43

7 खतरा तलाश अभ्यास के माध्यम से सुरक्षा आवश्यकता आकलन की प्रक्रिया बिहार का अनुभव :

8 स्कूल आपदा प्रबंधन मॉडल टेम्पलेट- राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों में भारत की दूरदृष्टि का वर्णन है जिसमें स्कूल समुदाय में शामिल सभी बच्चों तथा उनके अध्यापकों, अन्य हितधारकों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले किसी किस्म के जोखिम से सुरक्षित करने पर विचार किया गया है। दिशानिर्देशों का फोकस देश में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की जोखिम का सामना करने की क्षमता को मजबूत बनाने की परम आवश्यकता पर है। यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज इस बात को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा कि देश के सभी स्कूली बच्चे शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते समय किसी भी किस्म की आपदा से सुरक्षित रहें।

दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला गया है:

- राष्ट्रीय नीति के दायरे में स्कूल की सुरक्षा के सरोकारों के काम का एक अधिक समावेशी तथा समग्र तरीके से समाधान करना
- स्कूल सुरक्षा और आपदा के प्रति तैयारी के काम के लिए बच्चों, अध्यापकों, स्कूल कर्मी, राज्य तथा जिला शिक्षा मशीनरी का क्षमता निर्माण
- स्थानीय संदर्भ में बच्चों पर केंद्रित समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का काम करना/उसका क्रियान्वयन कराना
- स्कूली पाठ्यक्रमों में जोखिम तथा सुरक्षा पर शिक्षा को मुख्य स्थान देना
- मौजूदा सरकारी स्कीमों तथा नीतियों से स्कूली सुरक्षा के काम को जोड़ना
- आपदा की परिस्थितियों में कारगर बाल अधिकार नियमन को बढ़ावा देने के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर सांस्थानिक सरचनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना

अध्याय 1 में विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों तथा दिशानिर्देशों में यथा विचारित स्कूल सुरक्षा की अवधारणा का परिचय दिया गया है और इसके महत्व की जॉच की गई है।

अध्याय 2 में स्कूलों में सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करते समय झेली जाने वाली प्रमुख चुनौतियों, उक्त दिशानिर्देशों को तैयार करते समय ध्यान में रखे गए स्कूल सुरक्षा के प्रमुख सिद्धातों और दिशानिर्देशों की दूरदृष्टि तथा उद्देश्यों का विवरण दिया गया है।

अध्याय 3 में राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर किये जाने वाले आवश्यक विभिन्न कार्यकलापों का विवरण दिया गया है जिससे बे एक समग्र रूप में स्कूल सुरक्षा के समाधान हेतु सक्षम बन सकें। इसमें तयशुदा स्तरों पर स्कूल सुरक्षा योजना निर्माण, स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना, सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन (संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक उपाय, हितधारकों का क्षमता निर्माण, प्रमुख पाठ्यक्रम में स्कूल सुरक्षा तथा आपदा के प्रति तैयारी का समावेशन, जोखिम की मॉनिर्टरिंग तथा सभी स्कूली शिक्षा के पहल कार्यों में आपदा जोखिम को मुख्य स्थान देना) शामिल है।

अध्याय 4 में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों का विवरण है।

अध्याय 5 में शिक्षा की आपूर्ति हेतु मौजूदा रूपरेखा के अन्दर विभिन्न हितधारकों द्वारा स्कूल सुरक्षा की दिशा में किये जा सकने वाले विशिष्ट कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

खंड 1

प्रस्तावना

विषय-वस्तु

1.1 बच्चों के अस्तित्व पर एक बड़े खतरे के रूप में आपदाएँ

1.2 स्कूल सुरक्षा को समझना

1.3 राष्ट्रीय नीति प्रपत्र

1.4 दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र

1 प्रस्तावना

1.1 बच्चों की बेहतरी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में आपदाएँ

'आपदाओं' को एक समुदाय या एक समाज की कार्यप्रणाली में गंभीर अबरोध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण व्यापक मानवीय, माली, आर्थिक या पर्यावरण की हानियॉ होती हैं जो प्रभावित समुदाय या समाज द्वारा अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा आपदा से लड़ने की क्षमता से बाहर होती हैं।[1] कई कारकों की वजह से जिनमें उम्र, शारीरिक क्षमता, लिंग, स्वास्थ्य स्थितियॉ तथा देखभाल करने वालों पर निर्भरता शामिल है, कई बच्चे किसी आपदा की स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील/असुरक्षित होते हैं। ऐसी घटनाओं से बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि तथा विकास के साथ-होती न्न हेतु एक गंभीर बाधा उत्पत्वक्तिसाथ उनके समग्र व्य है। डर, हिंसा, माता पिता तथा देखभाल करने-वालों से अलगाव कुछ मुख्य खतरे हैं जिनका सामना बच्चे करते हैं। इसके अलावा, उनके परिवारों की आजीविका को नुकसान होने से वे बेघर हो जाते हैं और अत्यधिक गरीबी में जीते हैं। अन्य आधारढ़ांचे के समान ही, स्कूल भी आपदा के खतरे से ग्रस्त हैं। आपदाओं ने न केवल सरकार तथा अन्य हितधारकों को शिक्षा प्रदान करने के काम में चुनौती दी हैं बल्कि बच्चों की जिन्दगियों को तथा शिक्षा के काम में लगे अन्य लोगों की जिन्दगियों को भी खतरे में डाला है।

यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि स्कूल के परिसरों और हितधारकों की मौजूदा क्षमताओं की गुणवत्ता का एक बच्चे की असुरक्षितता संवेदनशीलताओं पर असर पड़ता है। अनुबंध एक विश्व तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी आपदाओं में खोई हुई जिंदगियों की संख्या और स्कूल के परिसरों को होने वाले नुकसान की सीमा का ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

इस तथ्य को देखते हुए की बच्चों द्वारा अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताए जाने की उम्मीद होती है, सुरक्षित स्कूलों का बच्चों की सुरक्षा तथा उनके व्यक्तित्व के निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्व होता है। स्कूल बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थल बन सकते हैं जो उनकों धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद करते हैं। सुरक्षित स्कूल के परिसरों के अन्दर, बच्चों के लिए, खासतौर पर किशोरियों तथा लड़कों के लिए सुरक्षित पानी तथा सफाई सुविधाओं के साथ अनिवार्य पूरक पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रकार विश्व स्तर पर यह सहमति है कि किसी आपदा के घटने के बाद स्कूलों को जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए।

1.2 स्कूल सुरक्षा को समझना

'स्कूल सुरक्षा' को बच्चों के लिए अपने घरों से स्कूलों तथा घर वापसी तक बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भौगोलिक जलवायु मूल के बड़े पैमाने के/'प्राकृतिक' खतरे मानव जनित खतरे, देशव्यापी बीमारी, हिंसा के साथ-आने वाली तथा छोटे पैमाने की आगजनी बार-साथ बार, परिवहन तथा अन्य संबंधित आपात स्थितियॉ और पर्यावरणिक खतरे शामिल हैं, जो बच्चों के जीवन पर

[1] *बरअक्तू 13, को 2013 http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm*

प्रतिकूल असर डाल सकते हैं।[2] यह अवधारणा पिछले कुछ दशकों में उभर कर आई है क्योंकि बच्चों के शरीरिक अस्तित्व पर खतरा को संसार तथा देश, दोनों स्तर पर अधिक नजर आ रहा है।

कार्य हेतु ह्योगो रूपरेखा (एचएफए) 2005-2015 ; जो आपदाओं से राष्ट्रों तथा समुदायों की आपदा से लड़ने के लिए क्षमता का निर्माण कर रही हैं, को आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया और इसमें दी गई 5 मुख्य प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता ज्ञान तथा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है। इस रूपरेखा में समुदाय को बड़े पैमाने पर आपदाओं के खतरे के प्रति और जागरूक बनाने तथा उनको बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य के साथ स्कूली बच्चों तथा युवा वर्ग की ओर ध्यान खींचा गया है।

स्कूल सुरक्षा की इसके मौजूदा स्वरूप में अवधारणा में सुरक्षा के, स्कूल के अन्दर तथा बाहर, दोनों जगह से संबंधित विषय शामिल है। इसमें बच्चों का संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा के विषय शामिल है और सभी तरह के हिंसा तथा अभाव पर विचार किया जाता है जो बच्चों के शारिरीक तथा मानसिक स्वास्थ्य/सेहत को प्रभावित करते है। इसलिए आज के समय में स्कूल सुरक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिनमें '' बच्चों के लिए घरों से स्कूल तथा स्कूलों से घर वापसी के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण'' करना शामिल है।[3]

1.3 राष्ट्रीय नीति प्रपत्र

भारत का संविधान: भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिलना देश में हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल नीति (2013): राष्ट्रीय बाल नीति देश में सभी बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह मान्यता देती है कि ''18 साल की आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे के समान है तथा उसका बचपन उसकी जिंदगी का एक अखण्ड हिस्सा है और हमारे बच्चों के संगत विकास तथा संरक्षण के लिए दीर्घावधिक, वहु-क्षेत्रीय, ठोस, एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण जरूरी है।'' इस नीति में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, विकास, संरक्षण (आपात स्थितियों/आपदाओं से संरक्षण सामिल है) तथा हर बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में भागीदारी की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में घोषित किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा सांस्थानिक, कानूनी, वित्तीय तथा समन्वय प्रक्रमों को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से, यह अधिनियम अध्यापक तथा छात्रों समेत हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर विचार करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम), 2009: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 में स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक और असंरचनात्मक सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डालती है। खंड 6.4.1 में प्रौद्योगिकी-विधिक व्यवस्था पर अध्याय में, नीति स्कूल की विल्डिंगों को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मानती है और स्कूल की विल्डिंगों/हॉस्टलों को भूकंपरोधी लक्षणों के साथ डिजाइन करने तथा उनमें उचित अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था के लिए प्रावधान तय किये हैं। खंड 10.2.2 के अन्तर्गत क्षमता विकास पर अध्याय में, निजी स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थाओं में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया है। खंड 10.5.1 में स्कूलों तथा कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से जूड़े काम में राष्ट्रीय कैडिट कोर तथा स्काउटों तथा गाइडों

---

2 *18-20 जनवरी,2007 , अहमदाबाद, भारत में स्कूल सुरक्षा पर आयोजित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामी दस्तावेजल सुरक्षा हेतु अहमदाबाद स्कू- कार्य अजेंडा।*

3 *18-20 जनवरी,2007 , अहमदाबाद, भारत में स्कूल सुरक्षा पर आयोजित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामी दस्तावेज ल सुरक्षास्कू- हेतु अहमदाबाद कार्य अजेंडा।*

की भूमिका का संदर्भ दिया गया है। एनपीडीएम के खंड 10.6.1 में केंद्रीय तथा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के विषय को शुरू करने के काम पर चर्चा की गई है।

1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथमिक शिक्षा में एक: ''बाल-केंद्रित दृष्टिकोण'' की मॉग करती है लेकिन इसमें बच्चों के आपदा जोखिम मुद्दों या स्कूल सुरक्षा का कोई विशिष्ठ संदर्भ नहीं है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 देश में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इस अधिनियम में स्कूलों की अवस्थिति तथा गुणवत्ता के संबंध में न्यूनतम मानदण्ड तथा मानक तय किये गए हैं और अनुच्छेद 19 निर्दिष्ट करता है कि कोई स्कूल तब तक स्थापित या मान्यताप्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंड तथा मानकों को पूरा नहीं करेगा। दुर्गम क्षेत्रों, भूस्खलन, बाढ़ का जोखिम, सड़कों का अभाव तथा सामान्यत: इस दृष्टिकोण में युवा बच्चों के लिए खतरे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण मानक 'सभी मौसमी बिल्डिंगों' तक पहुंच रखना है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण स्कूलों को ऐसी जगहों पर खोलेगा जहॉ ऐसे खतरों से बचा जा सकें। इस अधिनियम में स्कूलों की प्रचालनात्मक कार्यप्रणाली से संबंधित आधार ढ़ांचा की योजना तथा अन्य जरूरतों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति की बनावट/संरचना को निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम में यथा निर्दिष्ट, स्कूल विकास योजना में अनुसूची (सभी मौसमी विल्डिंगों के संबंध में) में वर्णित मानदंडों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आधारढ़ांचा तथा उपस्करों की भौतिक जरूरतों का वर्णन किया गया है। आरटीई नियमावली में धरातल पर अधिनियम के क्रियान्वयन पर विस्तृत मार्गदर्शन का प्रावधान है।

1.4 दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र:

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों ने देश में ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में स्कूलों की जोख़िम से लड़ने की खमता को और बढ़ाने की अत्यावश्यकता को देखते हुए भारत में स्कूली शिक्षा (सरकारी तथा निजी, दोनों) पर नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज़ सभी संस्थानों के लिए यह सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा कि देश के सभी स्कूली बच्चे शिक्षा का अपना अधिकार प्राप्त करते समय किसी भी किस्म की आपदा से सुरक्षित रहें।

खंड 2

दिशानिर्देशों की दूरदृष्टि, दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

विषय-वस्तु

1.1 दूरदृष्टि

1.2 सुरक्षित स्कूलों के लिए प्रमुख चुनौतियॉं

1.3 दृष्टिकोण

1.4 नीति दिशानिर्देशों का उद्देश्य

2 दिशानिर्देशों की दूरदृष्टि, दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

2.1 दूरदृष्टि

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देश देश में सभी स्कूलों पर लागू होते हैंल होंचाहे वे सरकारी स्कू-, सहायता प्राप्त हों या निजी स्कूल हों, चाहे वे ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी इलाकों में हों, यह दिशानिर्देश सब पर लागू होते हैं। ये भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने में संलिप्त सभी हितधारकों पर लागू होते हैं। दिशानिर्देश भारत की उस दूरदृष्टि का समर्थन करते हैं जिसमें सभी बच्चे तथा उनके अध्यापक, और स्कूल समुदाय में शामिल अन्य हितधारक उन प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले जोखिमों जिन्हें रोका जा सके, से सुरक्षित रहें जो शिक्षा प्रदान किए जाने के दौरान उनके अस्तित्व पर खतरा बन रहे हैं। ये दिशानिर्देश सक्रिय रूप से इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किसी आपदा के घटने के तुरंत बाद भी शिक्षण गतिविधियां चलती रहें के भीतर शारीरिक स्कूोंवापस शुरू की जाएं ताकि बच्चे/, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें। **शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया एक मूलभूत अधिकार है।** शिक्षा के अधिकार के संबंध में देश में सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हुए सुरक्षित रहें।

2.2 सुरक्षित स्कूलों हेतु प्रमुख चुनौतियां

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर स्कूल सुरक्षा पर किए जाने वाले प्रयास अभी शुरूआती अवस्था में हैं। स्कूल सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- **संस्थाओं के बीच वियोजन:** सर्व शिक्षा अभियान और आपदा मोचन/तैयारी जैसे 'गैर-आपातकालीन स्कीमों' (शिक्षा से जुड़ी) के बीच वियोजन/संवादहीनता है ज्यादातर राज्यों में शिक्षा कार्यक्रम एसडीएमए/डीडीएमए के साथ बिना नीतिगत जुड़ाव या कम सहभागिता के साथ चलाए जाते हैं।
- **स्कीमों के बीच में सीमित सम्मिलन (कंवर्जेंस):** किसी सरकारी स्कीम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जरूरी संसाधन को अन्य हितधारकों के साथ सहयोग आधार पर काम करने के लिए एक प्रक्रम के अभाव में बढ़ाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए स्कूल के परिसर के अंदर भूमि विकास को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है। तथापि, मनरेगा हेतु सूक्ष्म योजना कार्यकलाप और स्कूल विकास योजना तैयारी के बीच निकट तालमेल कंवर्जेंस के लिए जरूरी होगा।
- **स्कूल सुरक्षा अवधारणा की सीमित समझ:** यह तथ्यपरक है कि देश में मौजूदा शिक्षा मशीनरी बच्चों तथा अध्यापकों के लिए सुरक्षित शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक होती है लेकिन धरातल बिन्दुओं पर कार्यक्रम का वास्तविक कार्यान्वयन सुरक्षा की अवधारणा के

प्रति सीमित समझ वाला है। सर्वोत्तम रूप में, कई इलाकों के नए स्कूल डिजाइनों में भूकंप सुरक्षा लक्षण शामिल हैं; फिर भी बाढ़, चक्रवातों, भूस्खलनों पर स्कूलों के डिजाइन तथा लागत-आकलन में कम ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, अक्सर असंरचनात्मक तत्वों को सुरक्षा पर खतरों के रूप में नहीं समझा जाता है। अध्यापकों तथा छात्रों के स्तर पर, सुरक्षा विषयों पर चर्चा की जाती है और इनको एक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है। स्कूल समय सारणी तथा पाठ्यक्रम में सुरक्षा समझ को एक नैमी कार्यकलाप के रूप में बनाने के लिए उचित संशोधनों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों में देश में सभी स्कूली शिक्षा कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रमुख रूप से सक्रियता के साथ शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन मशीनरी के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण जरूरी होगा। विशेष रूप से क्षमता विकास कार्यकलापों जैसे अधिकारियों का सुग्राहीकरण, आपदाओं पर जनजागरूकता, अध्यापकों तथा छात्रों का प्रशिक्षण; आपदा मोचन हेतु पूर्वत उपकरणअवस्थि-, आपदाओं पर शिक्षण साम्रगी का सृजन तथा, जोखिम की मॉनीटरिंग के लिए सहयोग जरूरी होगा।

2.3 कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण

वे मूलभूत सिद्धांत जो इन दिशानिर्देशों के मूल दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, नीचे दिए गए हैं:

.2.3.1 सभी खतरों से बचाव का दृष्टिकोण

स्कूल सुरक्षा प्रयासों के लिए सभी तरह के खतरों जिनसे बच्चों की सेहत पर असर पड़ता हो, का संज्ञान लेना जरूरी है। इनमें प्राकृतिक खतरों जैसे बाढ़ और भूकंप, के साथ-साथ मानव-जनित खतरे शामिल हैं । खतरों में संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक कारक शामिल होते हैं। संरचनात्मक कारकों में जीर्ण-शीर्ण इमारतें, खराब डिजाइन वाले ढ़ांचे/संरचनाएं, दोषपूर्ण निर्माण, खुली हुई भवन निर्माण साम्रगी, आदि शामिल हैं जबकि असंरचनात्मक कारकों में गलत ढंग से रखी गई भारी वस्तुएं जैसे अलमारियां, परिसर में साँपों और अन्य किसी कीटों का जमावड़ा और टूटी हुई या बिना बाउंड्री वाली दीवारें, असमतल फर्श, अवरुद्ध निकास मार्ग, खराब डिजाइन तथा रखे हुए फर्नीचर के वह सामान जिनके कारण दुर्घटना तथा चोट लग सकती हो, अपर्याप्त सफाई, सुविधाएं आदि शामिल हैं। बच्चों, उनके अध्यापकों तथा माता-पिता की सुरक्षा पर उन नजर आने वाले तथा छुपे हुए खतरों को शामिल करने के लिए समग्रता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो अचानक आ जाते हैं या जो एक समयवाधि के दौरान धीरे-धीरे खतरा बनते हैं।

.2.3.2 स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए मौजूदा नीतिगत उपबंधों को मजबूत करना

शिक्षा क्षेत्र के लिए आधारढांचा तैयार करने में सरकार द्वारा उल्लेखनीय निवेश किया गया है। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी मौजूदा तथा नया आधारढांचा डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय संगत खतरों से निपटने में अच्छी तरह सक्षम हों। असुरक्षित इमारतों/संरचनाओं से बच्चों की असुरक्षितता बढ़ सकती है जो ऐसे प्रयासों के लिए प्राथमिक लक्षित समूह होते हैं। अत: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी विकास कार्य, यहां तक कि गैर-आपातिक समय में किए गए कार्य भी, आपातस्थितियों के दौरान उनके प्रदर्शन/काम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हों।

यह अनिवार्य है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी मौजूदा संस्थाओं को स्कूल नीति योजना तथा कार्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए और सुदृढ़ बनाया जाए तथा और समर्थ बनाया जाए। ऐसे किसी कदम से न केवल विकासात्मक नीतियां तथा कार्यक्रम सुनिश्चित होंगे बल्कि सुरक्षा कार्यों के लिए संकट की घड़ी में आवश्यक सहायता भी मिलेगी।

2.3.3. योजना, निष्पादन तथा मॉनीटरिंग की गुणवत्ता के संकेतक के रूप में स्कूल सुरक्षा

स्कूल नीति केवल एक समय का किया गया प्रयास नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुरक्षा सिद्धांतों देश में शिक्षण संस्थानों की दैनंदिन कार्यप्रणाली, आपदा चक्र की पारंपरिक दशाओंतैयारी :, कार्रवाई तथा पुनर्बहाली के लिए शामिल किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार, देश में शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लगे संस्थानों को एक कार्य प्रणाली और अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा को गुणवत्ता के लगातार मॉनीटर किए गए एक संकेतक के रूप में देखती हो।

2.4 नीति दिशानिर्देशों का उद्देश्य

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करना है। नीति दिशानिर्देशों में स्कूल सुरक्षा की दिशा में उन विशेष कार्यों पर प्रकाश डालने की मांग की गई है जिन्हें शिक्षा की आपूर्ति हेतु मौजूदा रूपरेखा के अंदर विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा सकता है।

खंड 3

विषय-वस्तु

3.1 बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना

3.2 सुरक्षा हेतु योजना

3.3 सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन

3.4 सुरक्षित स्कूलों हेतु क्षमता निर्माण

3.5 जोखिम की नियमित मॉनीटरिंग और योजना का संशोधन

3

कार्य क्षेत्र

3.1 बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना

शिक्षण स्थलों की सुरक्षा को बढ़ाने में पहला तथा अग्रणी कदम राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर सरकारी इमारतों तथा उत्तरदायी प्रक्रमों को सुरक्षा के प्रति सुग्राहीकृत तथा उन्हें और मजबूत करना है।

3.1.1 राज्य तथा जिला स्तर पर सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण

देश में शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के लिए, राष्ट्रीय अधिनियमों में यथानिर्दिष्ट सांस्थानिक तथा विनियामक रूपरेखा में प्रावधान किया गया है। शिक्षा प्रदान किए जाते समय छात्रों तथा उनके अध्यापकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि दोनों सांस्थानिक रूपरेखाएं एक-दूसरे के साथ आपदा के प्रति तैयारी, मोचन तथा पुनर्बहाली की अवस्थाओं में तालमेल से काम करें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) उन न्यूनतम मानदंडों तथा मानकों जो देश में किसी भी स्कूल के लिए 'स्थापितया मान्यता प्राप्त' किए जाने के लिए अनिवार्य हैं के आधार पर 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसमें 'सभी मौसमों के लिए सक्षम बिल्डिंगों' की जरूरत तथा भू-भाग की दुर्गमता, भूस्खन, बाढ़ का खतरा, सड़कों का अभाव द्वारा उत्पन्न बाध्यताएं और सामान्य रूप से बच्चों द्वारा शिक्षा प्राप्त करते समय खतरा आदि के बारे में विचार करने के काम को मान्यता देता है।

आरटीई अधिनियम इस प्रकार स्कूली सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। आरटीई-एसएसए का आपदा प्रबंधन पर कड़ा फोकस है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को अपनी विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम तथा प्रशमन उपायों को जोड़ने और इससे संबंधित आवश्यकता तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराने का अधिदेश देता है। एसडीएमए को राज्य स्तर पर स्कूल सुरक्षा प्रयासों को समर्थ देने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के साथ तालमेल करके काम करने की जरूरत है।

सुरक्षित स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के भाग के रूप में राज्य तथा जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित (को-ऑप्ट) करने की जरूरत है। इसके अलावा, इस विषय पर शिक्षा विभाग को सलाह देने के लिए एक स्कूल सुरक्षा परामर्शी समिति बनाई जा सकती है।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल की सुरक्षा को तथा राज्य तथा जिला स्तर पर शिक्षा मशीनरी को एसडीएम/डीडीएमए द्वारा संकेंद्रित कार्रवाई (कन्वरजेन्ट एक्शन) के माध्यम से व्यावहारिक रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस सांस्थानिक गठजोड़/संकेंद्रण के सीधे परिणाम के रूप में राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में शिक्षा

आधारढांचा तथा उस पर समर्थनकारी कार्रवाई पर फोकस करना शामिल होगा जैसे एक जोखिम समुत्थानशील परिप्रेक्ष्य से शिक्षा आधारढांचा की प्रास्थिति, सुरक्षा पहुओं पर विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण, और छात्रों तथा समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर आपदाओं पर जागरूकता का प्रसार करना। इसके समानांतर, शिक्षा मशीनरी को भी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों के लिए स्कूल सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में उनके प्रयासों को भी मजबूत किए जाने की जरूरत है।

जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 के उप-नियम (4), 15 के अंतर्गत 'मान्यता प्रमाण-पत्र' को केवल उन स्कूलों को जारी किया जाए जो बिल्डिंग कोडों में निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हों। इस अनुपालन के कार्य को एक नियमित आधार पर मॉनीटर किए जाने की जरूरत है।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक प्रक्रम बनाए जाने और एक नियमित आधार पर सभी स्कूलों में सुरक्षा पैरामीटरों की मॉनीटरिंग के लिए नियामक प्राधिकारियों को नामोद्दिष्ट किए जाने की जरूरत है। प्राधिकरणों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी मौजूदा मॉनीटरिंग फार्मेट में स्कूल सुरक्षा पर पैरामीटर शामिल होने चाहिए। इसके अलावा हर जिले को, जैसा उचित समझें, ब्लॉक स्तर पर निगरानी तथा स्कूल सुरक्षा को सुकर बनाने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को पदनामित करना चाहिए।

3.1.2 स्थानीय स्तर पर तैयारी तथा मोचन के लिए सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण

स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों दोनों में स्कूल समुदाय में मोट तौर पर बच्चे, स्कूल अध्यापक, प्रिंसिपल/हेडमास्टर तथा माता-पिता शामिल होते हैं। वे स्कूल के कामों के लिए प्राथमिक हितधारक होते हैं और उनको स्कूल के लिए फैसला करने वाले अधिकारियों में औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है कि स्कूल स्तर पर इन मौजूदा संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए और उनकी क्षमता को पर्याप्त रूप से, एक आपदा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से, बच्चों तथा अध्यापकों की सलामती तथा व्यक्तित्व विकास के लिए सुनिश्चित, करने के लिए उपयोग किया जाए।

एसएसए के अंतर्गत, स्कूल प्रबंधन समिति को एक पारदर्शी तथा 'बॉटम-अप' भागीदारी तरीके से स्कूल के कामकाज का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी निकाय के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए।

स्कूल प्रबंधन समिति को समुदाय तथा स्कूल स्तर पर सुरक्षा एजेंडा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाए जाने की आवश्यकता है। स्कूल प्रबंधन समिति को उनकी अनुमानित भूमिका के बारे में सुग्राहीकृत तथा उन्मुख बनाने की जरूरत है।

स्कूल स्तर पर, एक स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापक (एफपीटी) को नामित किए जाने की आवश्यकता है जो स्कूल में अपने रूटीन कार्यों के भाग के रूप में स्कूल स्तर पर सुरक्षा से जुड़े कामों को कराने का नेतृत्व करे। स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों को इस प्रक्रिया को कराने के लिए तथा विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी विभिन्न हितधारकों द्वारा कार्रवाई शुरू करवाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

हर स्कल में स्कूल प्रबंधन समिति को किसी आसन्न आपदा/आपातस्थिति के बारे में, स्कूल सुरक्षा के विभिन्न पहुओं के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उदाहरण के लिए लड़कों, लड़कियों, अध्यापकों की साफ-सफाई

जरूरतें; प्राथमिक चिकित्सा; भगदड़ प्रबंधन, अग्नि प्रबंधन तथा नियंत्रण, प्रयोगशालाओं में रसायन/खतरनाक सामग्री का प्रबंधन आदि।

हर स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मी शिक्षकों/प्रशिक्षकों का एक संवर्ग भी पहचान करके विकसित करना चाहिए ताकि विभिन्न आपदाओं के सुरक्षा संदेश, क्या करें तथा क्या न करें हिदायतें, प्रक्रियाएं तथा प्रोटोकॉल स्कूल में हर एक छात्र तक पहुंचे। इन सहकर्मी शिक्षकों को रेडक्रॉस या अन्य किसी एजेंसी, जैसा जिला द्वारा ठीक समझा जाए, द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय स्काउट तथा गाइड कैंपों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है।

कई निजी स्कूलों में स्कूल विस्तार तथा विकास, हाथ से बचाव की कवायदों, बिजली गुल होने के समाधानों, अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं के कारण स्कूल को समय से पहले बंद कराना, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सरोकारों, घुसपैठियों या सड़क/बस दुर्घटनाओं के रोजमर्रा के मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र मौजूद हैं। तथापि इन तंत्रों की प्रकृति तथा कारगरता में भिन्नता है। इन तंत्रों को समावेशी बनाए जाने की जरूरत है जहां तक बच्चों का संबंध है और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में और अधिक सक्रिय बनाया जाना है।

3.2 सुरक्षा हेतु योजना

स्कूल सुरक्षा योजना पर जिला स्तर के साथ-साथ स्थानीय/स्कूल स्तर पर भी कार्य किए जाने की जरूरत है।

3.2.1 जिला स्तर पर योजना-जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रयासों के साथ संबंध (लिंक)

जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीडीएमपी) को जिले में तथा उसके आस-पास के वातावरण में स्थित सभी स्कूलों में सुरक्षा से जुड़ी कमियों के निवारण के लिए सरोकारों तथा समाधानों को शामिल किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, स्कूल किसी आपदा के तुरंत बाद एक आपातकालीन आश्रय केंद्र के रूप में भी अक्सर काम करते हैं। इसलिए, डीडीएमए को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि स्कूल सुरक्षा पर डीडीएमपी में उचित ध्यान दिया जाए।

डीडीएमपी में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

- स्कूलों की जिला स्तर की श्रृंखला को सुरक्षित बनाया जाए। इसका आकलन उस इलाके में प्रासंगिक सभी खतरों को कवर करने के लिए 'रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग' या कोई अन्य उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है।
- आपातकालीन तथा संकट सेवा एजेंसियों की निकटता, उनकी क्षमताएं तथा परिणामस्वरूप उनका अनुमानित मोचन समय;
- स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक ज्ञात खतरों को रोकने के लिए स्कूल आधारढांचा तथा सुविधाओं की भौतिक क्षमता;
- आपदा प्रबंधन के संबंध में स्कूल तथा समुदाय के अंदर मौजूदा संसाधनों तथा क्षमताओं से जुड़ी सूचना;
- स्कूल के आस-पास अन्य सुविधाओं द्वारा खतरों तथा जोखिमों से जुड़ी जानकारी उदाहरण के लिए खतरनाक सामग्रियां तैयार करने वाला कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान।

3.2.2 स्कूल स्तर पर योजना समावेशी तथा चालू कार्रवाई

स्कूल स्तर पर आपातस्थितियों हेतु स्कूलों के लिए उत्तरदायी आधिकारिक संरचनाओं तथा स्कूल समुदाय से अलग करके नहीं किया जा सकता।

इसलिए योजना प्रक्रिया में स्कूल और इसके पड़ोसी समुदायों जिनमें स्कूल प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, छात्र तथा समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं, के प्रतिनिधियों की व्यापक श्रेणी सम्मिलित होनी चाहिए।

इस बात को मान्यता देना समान रूप से महत्वपूर्ण है कि स्कूल स्तर पर सुरक्षा के लिए योजना एककालिक या अचल प्रक्रिया नहीं है। 'यह तो एक चालू गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं की पहचान विकसित हो रहते रोकथाम, मोचन तथा तैयारी प्रोटोकॉल, भौतिक सुविधाओं का मूल्यांकन करना तथा स्टाफ सदस्यों तथा छात्रों के लिए संचार तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना शामिल होता है।

मौजूदा योजना प्रक्रियाओं तथा प्रोटोकोलों को स्कूल स्तर पर सुरक्षा सरोकारों को अनुकूल बनाए जाने की जरूरत हैं। निजी तथा बिना सहायता वाले स्कूलों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण मान्यता बोर्ड को सुरक्षा के पहलुओं को मॉनिटर करने की जरूरत है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, डीडीएमए को विल्डिंग कोड़ों के अनुपालन के लिए सभी स्कूल विल्डिंगों को मॉनिटर करने की जरूरत है।

एसएसए के अन्तर्गत स्कूलों के लिए, वार्षिक स्कूल विकास योजनाओं को तैयार करने की वर्तमान प्रक्रिया को सुरक्षा पहलुओं पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल विकास योजना (एसडीपी) के विकास से पूर्व किया गया आवश्यकताओं का एक समग्र आकलन बच्चों पर संभव खतरों की पहचान करना और महत्वपूर्ण आपदाओं के प्रति मोचन तथा उससे उबरने के लिए उनकी क्षमताओं की पहचान करना अनिवार्य है। आकलन में, इलाके में प्राकृतिक आपदा खतरे का इतिहास और प्राकृतिक संवेदनशीलताएँ, भौतिक कारक जैसे स्कूल की मौजूदा/उभरते जोखिमों के संबंध में अवस्थिति उदाहरण के लिए किसी जल निकाय के निकट होने के कारण बाढ़ का आना, स्कूल संरचनाओं के साथ-साथ असंरचनात्मक संघटकों जो बच्चों के अस्तित्व पर खतरा हो सकते हो, के संबंध में भवन सहिंता आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। इस आकलन में स्कूल सुविधा के आपातकालीन उपयोगों पर भी विचार करना चाहिए। जैसे स्कूल को जिला आपदा प्रबंधन योजना में एक राहत आश्रय केंद्र के रूप में पदनामित किया जाता है।

स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य, बच्चे तथा अध्यापक जो स्कूल के प्रास्थमिक उपयोगकर्त्ता है, इस योजना की पहचान करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली विपदाओं तथा जोखिमों के समाधान के लिए जरूरी होता है। एक बार स्कूल प्रबंधन समिति बन जाए और स्कूल सुरक्षा विषयों की तरफ उन्मुख हो तो व्यक्तियों का एक प्रतिबद्ध समूह जोखिमों तथा असुरक्षितताओं की पहचान करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए उपलब्ध होगा।

किसी उपयुक्त साधन को एक भागीदारी पूर्ण ढ़ग से जरूरतों की पहचान की प्रक्रिया का काम कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 'विपदा की खोज' अभ्यास स्कूल समुदाय की सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले स्कूल के परिसर के अन्दर तथा बाहर, दोनों जगहों के खतरों को पहचान ने के लिए एक जॉचा-परखा हुआ तरीका है। उनमें वे सभी तरह की विपदाओं/आपदाओं की पहचान करने का काम सामिल है जिनमें वो आपदाएँ जो शारीरिक हानि पहुँचा सकती है जैसे गहरे गड्ड़े, चारदिवारी का न होना ; वो आपदाएँ जो बच्चों की सेहत पर बूरा असर डालती है जैसे संदूषित जल स्रोत, शौचालयों तथा हाथ धोने की सुविधाओं का अभाव; के साथ-साथ वे कारक सामिल है जो स्कूल के बाहर है जैसे बाहर सड़क पर तेज चलता यातायात, तालाव आदि (देखें अनुबंध 7)।

आवश्यकता के आकलन के आधार पर, स्कूल विकास योजना को स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा तैयार किये जाने की जरूरत होती है। एसडीएमए और डीडीएमए के माध्यम से एनडीएमए इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मानक टूल किटे देगा और अन्य चीजें उपलब्ध करायेगा। **(स्कूल डीएम योजना का प्रारूप अनुबंध 8 में उपलब्ध है)**

योजना में स्कूल परिसरों और उसके आसपास के स्थानों, दोनों के अन्दर किये जाने वाले उपाय होंगें जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

1 लघु अवधि हस्तक्षेप : असंरचनात्मक तथा संरचनात्मक कार्यकलाप, दोनों

2 दीर्घ अवधि हस्तक्षेप : असंरचनात्मक तथा संरचनात्मक कार्यकलाप, दोनों

3 प्रशिक्षण योजना : छात्रों तथा अध्यापकों के लिए

4 ज्ञान निर्माण योजना जिसमें जागरूकता सृजन, जनता को आपदा के बारे में समझाना, नियमित स्कूल समय सारणी के द्वारा अनुपालन समेत कृत्रिम अभ्यास सामिल है। इसमें आपातकालीन उपकरणों जैसे अग्निसमन यंत्र का उपयोग तथा नियमित रख-रखाव भी सामिल होगा।

5 योजना की समीक्षा तथा मॉनिटर्रिंग का काम जिसमें सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन उपकरण तथा सामग्रियों की उपलब्धता सामिल हैं।

एसएसए में यह भी उल्लेख है, ''स्कूल विकास योजना को एक भागिदारपूर्ण से चलाई गई सुक्ष्म योजना निर्माण की एक प्रक्रिया से उभर कर आना चाहिए... स्कूल विकास योजना को एक महत्वपूर्ण दल द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जिसकी अगुवाई गॉव/इलाके के स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य द्वारा की जाएगी और उसने चुने हुए सामुदायिक नेता, एनजीओं प्रतिनिधि, प्रधानअध्यापक, चुने हुए अध्यापक तथा माता-पिता, विशेषरूप से वंचित समूहों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों के माता-पिता शामिल होंगे और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर शिक्षा सुविधाओं के लिए एक प्रस्ताव भी शामिल होगा।' **(क्रियान्वयन हेतु एसएसए फ्रेमवर्क, 2009, पेज 137)**

समान्तर रूप से, योजना को, अन्य सकीमों को बढ़ावा देने के लिए अफसर तलाशने हेतु, गॉव पंचायत के साथ परार्मश किये जाने/उनके ध्यान में लाने की भी जरूरत है।

3.2.3 स्कूल आपदा प्रबंधन योजना

स्कूलों को एक आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार करनी चाहिए जिसमें डीडीएमए से प्राप्त की गई जानकारियों सहित आपात स्थिति तथा संकट को सीमित करने, रोकने, समेकित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया हो।

इस योजना में अन्य पहलुओं के बीच में चेतावनियों की प्रणाली, स्कूल के अंदर तथा बाहर संचार प्रोटोकाल (जनसमाधान प्रणाली का उपयोग आदि) सुरक्षित निकास मार्गों की पहचान, आपातकालीन वाहनों द्वारा पहुँच और द्विव्यांग बच्चों की देखभाल के पहलु समिल होने चाहिए। यदि जरूरी हो तो आपदा प्रबंधन योजना में आपातकालीन उपकरणों तथा सामग्री का भंडारण, आपातकालीन उपकरण का नियमित रखरखाव, छात्रों को व्यवस्थित रूप से उनके अभिभावकों तथा अस्थाई आश्रय केंद्र तक छोड़ने की व्यवस्था का इतजाम भी होना चाहिए। योजना में एक साइट मैप सामिल किया जाना चाहिए। जिसमें योजनाबंध सुरक्षित निकास मार्गों की जगह निश्चित की गई हों। साइट मैप को स्कूल के हर फ्लोर पर दर्शाया जाना चाहिए। प्लाट मैप तथा फ्लोर योजना की एक प्रति डीडीएमपी में शामिल किये जाने के लिए डीडीएमए को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.3 सुरक्षा कार्यों का क्रियान्वयन

3.3.1 नए स्कूलों में संरचनात्मक सुरक्षा हेतु उचित साइट निर्धारण, डिजाइन तथा विवरण और मौजूदा स्कूलों की मरम्मत

सभी मौजूदा और नए स्कूलों को राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन करने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निरर्धारित किसी अन्य मानदंड को पालन किए जाने की भी जरूरत है। (देखें अनुबंध 6)

इनमें से कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं

- नए स्कूलों को ऐसी जगहों पर स्थापित किया जाए जहॉ किसी आसन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पर्याप्त प्रश्न उपाय मौजूद हो। किसी संवेदनशील स्थान पर बनें मौजूदा स्कूलों को या तो किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए या उनकों इलाके को प्रभावित कर सकने वाली किसी प्राकृतिक आपदा के असर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- सभी नए स्कूलों के निर्माणों में आपदा समुत्थानशील विशेषताए होनी चाहिए। मौजूदा संवेदनशील स्कूलों की स्थानीय आपदा जोखिमों के संबंध में समुत्थानशीलता के इच्छित स्तर तक मरम्मत करना की जरूरत है।
- निर्धारित डिजाइनों को सुरक्षा तथा वाल अनुकूल विशेषताओं को शामिल करने के लिए उनके अनुकूल बनाया जाए।
- स्कूल की बिल्डिंगों और इसके संघटकों जैसे इसके अहाते, सीढ़ियों, साइड़ वाले क्षेत्रों, निर्माण की गुणवत्ता, राष्ट्रीय भवन सहिंता, 2005 के अनुसार होनी चाहिए। केवल गैर-दहनशील, अग्निरोधक, उष्मारोधी सामग्री का स्कूल के निर्माण में उपयोग किया जाएगा।
- मौजूदा स्कूलों के क्षैतिज विस्तार को एक प्रमाणित सीविल/संरचनात्मक इंजिनियर से बिल्डिंग के लिए एक फिटनिस सर्टिफिकेट के बिना नहीं कराया जाएगा। उर्दभारदर विस्तार की जरूरत वाले अतिरिक्त क्लास रूमों या अन्य ढांचों को स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा और मौजूदा संरचनाओं में एक निरंतर इकाई के रूप में निर्माण करते समय इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि भूकंपीय बलों का इन पर कम असर रहें।
- हर क्लासरूम में आसान निकास के लिए दो दरवाजे; हवा और रोशनी के लिए पर्याप्त खुली जगह होना कुछ अनिवार्य तत्व है जो डिजाइन में शामिल किए जाने की जरूरत है।
- बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे खुले क्षेत्रों में या पर्याप्त चौड़ाई के आहातों में खुलने चाहिए, ये कुछ प्रमुख विवरण है जिन्हें स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन में शामिल किए जाने की जरूरत है।

इन सबके तथा अन्य कार्यों के लिए तकनीकि ऐजेंसी के एक पैनल के लिए मार्गदर्शन तथा समर्थन की आवश्यकता है जिन्हें विशेष जिलों में काम करने के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित तथा पदनामित किया जाना होता है। इस तरिके से स्थल विशिष्ट डिजाइनों को, सुरक्षा विशेषताओं को तथा वाल हितेशी तत्वों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के साथ तैयार किया जा सकता है।

इन ब्यौरों के अलावा, सम्पूर्ण स्कूल विकाश अवधारणा के अनुसार अन्य डिजाइन समाधानों को सुरक्षा तथा वाल

हितेशी विशेषताओं को बड़ावा देने के लिए समावेशीत करना जरूरी है। स्कूल सुरक्षा से संबंधित तत्वों को संपूर्ण स्कूल विकास दृष्टिकोण में शामिल किया जाना चाहिए।

3.3.2 स्कूलों में गैर संरचनात्मक सुरक्षा उपाय

संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के अलावा, स्कूल के परिसर में गैर संरचनात्मक तत्वों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शामिल किये जाने के जरूरत हैं। ये अधिकांशत्य कम लागत वाले, नियमित रख-रखाव करने वाली चीजें हैं जिनकी स्कूल को अपने फंड में से नियमित आधार पर व्यवस्था करने की जरूरत है। इनमें से कुछ चीजों की सूची नीचे दी गई है:-

- फर्नीचर का सभी सामान जैसे आलमारी, शैल्फ, ब्लैक बोर्ड के साथ-साथ गिर सकने और छात्रों तथा अध्यापकों को नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीजें जैसे सीलिंग फैन, कूलर, पानी की टंकी आदि को दीवार या फर्श के साथ अच्छी तरह फीट करवा के रखें जाने की जरूरत है।
- संकट में डाल सकने वाली किसी भी बिजली के सामानों/उपकरणों जैसे टूटी हुई तारों की स्कूल द्वारा तत्काल मरम्मत करवाई जानी चाहिए।
- स्कूल की प्रयोगशाला में रखें रसायन तथा अन्य खतरनाक सामग्री को अनुदेशों के अनुसार संचालन तथा भंडारण किया जाना चाहिए ताकि छात्रों तथा स्कूल स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे।
- अहातों सहित खुले इलाकों तथा सीढ़ियों तथा रेम्पों सहित बाहर निकलने के रास्तों को किसी अवरोध तथा बाधा से मुक्त रखा जाए ताकि बाहर निकलने का रास्ता सुचारू तथा निर्बाध रहे।
- खेलने के मैदान या अहातों में मटकों या गमलों को इस तरिके से रखा जाना चाहिए जिससे रास्ते में आवाजाही प्रभावित ना हों।
- कोई उजाड़ या जर्जर बिल्डिंग, मलवा आदि को, किसी हानिकारक जानवरों या कीटों द्वारा बच्चों को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए हटाया जाना चाहिए।
- स्कूल के बाहर यातायात की आवाजाही का, स्कूल में आते समय तथा छुट्टी के बाद वाहर जाते समय छात्रों को होने वाले जोखिम को कम से कम करने के लिए अच्छी तरह प्रबंध करना चाहिए।
- सैर पर जाने के दौरान, स्कूलों को सैर की जगह का और सैर के कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए ताकि उनको खतरा कम-से-कम हो। बच्चों को नदी-नहर, सक्रिय पहाड़ी इलाकों आदि के पास ले जाते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए।
- स्कूल की अपनी/किराए पर ली गई बसों या किसी अन्य वाहन का रखरखाव उचित रूप से किए जाने की जरूरत है ताकि छात्रों को दुर्घटना का खतरा न हो। ड्राइवरों को गति सीमा, वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के साथ-साथ संकट प्रबंधन पर उचित प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है ताकि बच्चे स्कूल से गाड़ी के द्वारा आने-जाने के दौरान सुरक्षित रहें।
- आपातकालीन उपकरण जैसे आग बुझाने वाले यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किटों, रस्सियों आदि की स्कूल प्राधिकारियों द्वारा अधिप्राप्ति तथा नियमित रखरखाव किये जाने की जरूरत हैं।
- स्कूल समुदाय के परिप्रेक्ष्य से संपूर्ण स्कूल विकास योजना (डब्ल्यूएसडीपी) के भाग के रूप में पृष्ठ 15 पर दिए चित्र में स्कूल सुरक्षा के विभिन्न आयाम दिए गए हैं।

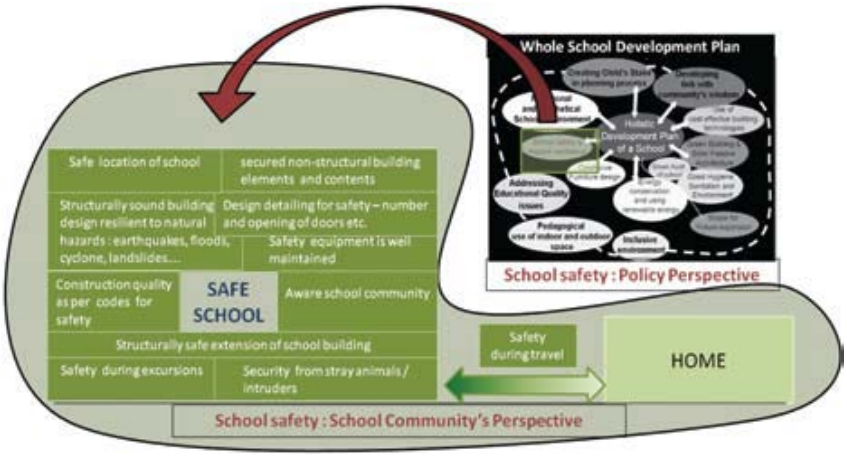

सम्पूर्ण स्कूल विकास दृष्टिकोण पर स्कूल सुरक्षा-निर्माण के विभिन्न आयाम

अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा

अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपाय प्रारंभिक स्कूल डिजाइन, तथा नियमित रखरखाव, जॉच कराने के काम का एक भाग होना चाहिए। निम्नलिखित को सुनिश्चित अवश्य किया जाए :

- ज्वलनशील तथा खतरनाक सामग्री के स्रोत सीमित, अलग-अलग, एक अलग जगह एकत्रित, या सुरक्षित हो। इसमें बिजली की तारे तथा उपकरण, हीटर और स्टोव, प्राकृतिक गैस की पाइप लाइने तथा एलपीजी सिलेंडर; ज्वलनशील या ईंधन द्रव/तरल पदार्थ आदि शामिल है;
- बाहर निकलने के रास्ते बाधा रहित हो/साफ हों ताकि आग लगने या अन्य किसी आपात स्थिति के मामले में सुरक्षित निकास सुविधाजनक हो;
- जॉच तथा अलार्म प्रणालियॉं (खासतौर पर शहरी सेटअप) चालू हालत में हो;
- अग्निशमन यंत्रों को नियमित रूप से रिफिल किया जाता हो;
- अन्य अग्निशमन सामग्री तथा उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाता हों;
- विद्युत प्रणालियों का, अग्नि सुरक्षा डिजाइन मानदंड के अनुपालन में, रखरखाव किया जाता हो और चालू हालत में हो (स्रोत: आईएफसी ईएचएस दिशानिर्देश)।

3.3.3 स्कूल के परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए मौजूदा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का स्तर बढ़ाना

आपदा जोखिम का इतिहास रखने वाले क्षेत्र किसी आपातस्थिति के दौरान या किसी आपदा के घटने के बाद बच्चों को सामान्य स्थिति की बहाली का एहसास कराने में मदद करने, दोनों में स्कूलों के महत्व को स्वीकारते हैं। इसलिए विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसी समुदाय हेतु स्कूल एक मूल्यवान परिस्मपत्ति है जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि कि उनके परिवारों तथा समुदायों के हितों के लिए भी सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए, स्थानीय प्राधिकरणों को स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीव्र इच्छाशक्ति का बोध होना चाहिए।

इसके अलावा, स्कूल बच्चों तथा अध्यापकों के माध्यम से आस पड़ोस के समुदाय के अन्दर एक समग्र 'सुरक्षा संस्कृति' का निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए स्कूल सुरक्षा प्रयासों की प्रासांगिकता स्वयं स्कूल से काफी बाहर के परिवेश तक रहती है।

स्कूल सुरक्षा को केवल स्कूल के प्राधिकारियों के प्रयासों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। स्कूल के बड़े प्रसंग की स्कूल सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि स्कूल के आसपास और स्कूल के अन्दर की सुविधाओं की व्यवस्था विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। बल्कि अक्सर, ये स्कीम तथा कार्यक्रम स्कूल के कामकाज तथा बच्चों की विशेष आवश्यकताओं से अलग-थलग रहते हैं।

एसएसए इसे भी स्वीकार करती है, ''....सुक्षम योजना अभ्यास का अनुपालन करके, ब्लोकों तथा जिलों को यह देखने का काम हाथ में लेना चाहिए कि केंद्र/राज्य सरकारों की मौजूदा संसाधनों के पुन: तैनाती/सुव्यवस्थीकरण के द्वारा या अन्य स्कीमों के माध्यम से किन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। एसडीपी को ब्लोक टीमों के साथ परामर्श से क्लस्टर लेवल यूनिटों द्वारा स्थिति से परिचित कराया जा सकता है। जिला यूनिट ब्लाक स्थरीय योजना के बारे में बतायेगा जो जिला योजना का आधार बनेगा....''। ***(कार्यान्वयन हेतु एसएसए फ्रैमवर्क, 2009, पृष्ठ संख्या 138)***

स्कूल सुरक्षा के विभिन्न संघटक जैसे एसएसए, पिछड़े क्षेत्रों की अनुदान निधि, ग्रामीण जिला रोजगार गांरटी स्कीम, निर्मल भारत अभियान, जनजातिया क्षेत्र उपयोजना, एमपीएलएडी आदि के लिए फंडिंग के संभव स्रौतों का ब्यौरा देने वाली स्कूल विकास योजना को पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के साथ, उनकी भागीदारी तथा समर्थन के लिए, साझा किए जाने की जरूरत है। पिछड़े क्षेत्रों की अनुदान निधि, ग्रामीण जिला रोजगार गांरटी स्कीम आदि के लिए पंचायती योजनाओं में सामिल किए जा सकने वाले स्कूल विकास योजना के संघटकों को पीआरआई/ शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ संगत विभागों के साथ बाद में फॉलोअप किए जाने की जरूरत है ताकि उनकों- बच्चों तथा उनकी सुरक्षा पर फोक्स के साथ- इच्छित गुणवत्ता सहित एक समयबद्ध ढंग से लागू किया जा सकें।

वे कार्यकलाप जिन्हें स्कूल स्वयं चला सके उदाहरण के लिए निकास मार्ग बाधा रहित रखना और ढीली ढाली लटकी हुई वस्तुओं को अच्छी तरह फिट कराना जैसी जरूरतों के मामलों को स्कूली शिक्षा विभाग के साथ उठाना चाहिए।

3.4 स्कूली सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण

स्कूल स्तर पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व स्कूल सुरक्षा के मुद्दे के संबंधित हितधारकों की गहरी समझ, संवेदनशीलता और संपूर्ण क्षमता का होना है।

स्कूल सुरक्षा हेतु क्षमता निर्माण के काम में कई तरह के कार्य शामिल है जिनमें जागरूकता सर्जन तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा जरूरी सीधी कार्यवाहियों के लिए प्रशिक्षण हेतु सुग्राहीकरण तक के कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण कोई एककालिक कार्यकलाप नहीं है; इसके लिए अध्यापकों, छात्रों के दैनिक कार्यों में प्रदान किए गए ज्ञान तथा कौशलों और नियमित मूल्य वृद्धियों का फॉलोअप जरूरी होता है।

सुरक्षित स्कूलों के लिए क्षमता निर्माण के कार्यों को मोटेतौर पर दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है:

3.4.1 छात्रों तथा स्कूल के स्टाफ के लिए सामान्य प्रशिक्षण

किसी आपातस्थिति के बारे में, अपनी अनुमानित भूमिकाओं, प्रक्रियाओं तथा जिम्मेदारियों को रेखाकिंत करते समय, इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित बातों की समझ को सुदृढ़ करना जरूरी है:

क. संभावित आपदाएँ जो स्कूल समुदाय को प्रभावित करती है;

ख. मौचन के विभिन्न स्तरों पर चेतावनी सिंगनल, आपात स्थिति तथा संकट से बचने के लिए हिदायतों तथा प्रशमन कार्य;

ग. निकास मार्गों, तथा सुरक्षित स्थान तथा आश्रय केंद्रों की जानकारी;

घ. प्राथमिक तथा बुनियादी जीवन सहायता;

ङ. किसी आपदा के बाद निजी तथा समुह काउँसालिंग तथा सहायता की उपलब्धता; तथा

च. आपदा प्रबंधन योजना में वे अपडेट जो स्कूल की कूल आबादी को प्रभावित करते हैं।

ये प्रशिक्षण स्कूल स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और नियमित अपडेशन के साथ-साथ, यदि जरूरत होती हो तो, प्रभावी सुरक्षित निकास के लिए भी अनिवार्य है। इसलिए सुरक्षा संबंधी कार्यों के असर को बरकरार रखने के लिए, बच्चों के साथ अध्यापकों को शामिल करके कृत्रिम कवायद के अभ्यास के माध्यम से नियमित प्रैक्टिस करना जरूरी है।

बच्चों को सार्थक ढंग से इस काम में शामिल करने के लिए परिचर्चा, नुक्कड़ नाटक, चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, निबंध/स्लोगन लेखन तथा प्रदर्शनी का आयोजन आजमाये हुए तरीके है। इसके अलावा रैलियों, खेलों/मैचों तथा अन्य समुदाय स्तर के कार्यकलापों का डीडीएमए/एसडीएमए से मिली जानकारियों की सहायता से आयोजन किया जा सकता है ताकि बच्चों और बड़े स्तर पर समुदाय को जागरूक बनाया जा सके।

3.4.2 विशेष प्रशिक्षण तथा कौशल निर्माण:

स्कूल आपदा प्रबंधन योजना के भाग के रूप में विशेष भूमिकाओं को निभाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उदाहरण के लिए:

क. स्कूल आपदा प्रबंधन योजना के भाग के रूप में छात्रों, फैक्लटी तथा स्टाफ को सौपी गई विशेष ड्यूटियाएँ तथा प्रक्रियाएँ उदाहरण के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, खोज तथा बचाव आदि।

ख. स्कूल सुरक्षा के समवय के लिए स्कूल सुरक्षा फोक्ल बिंदु अध्यापक तथा प्रेंसिपलों द्वारा स्कूल विकास योजना के साथ इन जरूरतों का आकलन तथा एकीकरण जरूरी है।

ग. बुरे हालात से उबरने तथा निपटने के कौसलों को सीखने के लिए, उन छात्रों के लिए मनो-सामाजिक सहायता जो लेखन या कला परियोजनाओं के साथ साथ पाठ्यक्रम में उचित बदलाव करने के माध्यम से काउँसिलिंग, ट्रॉमा मैनेजमेंट पर कार्यक्रमों से फायदा उठा सकते हैं।

ऐसे विशेष कौसलों को विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा सबसे अच्छी तरह उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य सरकारों को एक औपचारिक प्रक्रम स्थापित करने की जरूरत है जैसे एसडीआरएफ और रेडक्रोस जैसी ऐजेंसियों के साथ एक सयुक्त कार्य योजना। एसडीएमए को खोज तथा बचाव,

प्राथमिक चिकित्सा, बुनियादी जीवन सहायता जैसे व्यवहारिक कौसलों पर शिक्षा अधिकारी, फोक्ल बिंदु अध्यापकों और छात्र पीर एजुकेटर्स के प्रशिक्षण में एसडीआरएफ को शामिल किये जाने की जरूरत है।

स्कूल सुरक्षा फोकल बिन्दु अध्यापकों के अलावा, सभी अन्य अध्यापकों को एसडीएमए/डीडीएमए के माध्यम से सुग्राहितकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) को अपने पूर्व-सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में स्कूल सुरक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।

स्कूल सुरक्षा फोकल बिन्दु अध्यापकों को अध्यापकों की जिम्मेदारियों के निर्वाह से संबंधित स्कूल सुरक्षा संकल्पना तथा विभिन्न कार्यकलापों पर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। राज्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को प्रत्येक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) से मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और प्रत्येक डाइट के मास्टर प्रशिक्षकों को बाद में स्कूल स्तरीय हितधारकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।

सभी स्तरों पर स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण पर विषय वस्तु, एसडीएमए/ डीडीएमए के परामर्श से तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा, एससीईआरटी को अध्यापकों तथा छात्रों को स्कूल सुरक्षा से जुड़े कार्यों में लगाने के लिए बाल अनुकूल शिक्षण सामग्री तैयार करने की जरूरत है।

स्कूल प्रशासन समिति को सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन, योजना तैयार करने के साथ-साथ सुरक्षा ऑडिट जिसे हर तिमाही कराये जाने की जरूरत है, पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए जॉच करना शामिल है कि स्कूल के अंदर सुविधाओं तथा संसाधनों नामत: साफ पानी तथा सफाई, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र आदि का रखरखाव किया गया है।

प्रमुख पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन

स्कूल में छात्रों तथा स्टाफ के क्षमता निमार्ण के लिए प्रतिबंध कार्रवाईयों की जरूरत है ताकि उस बड़े समुदाय के अन्दर एक ''सुरक्षा संस्कृति'' निर्मित हो जाए जिससे छात्र तथा अध्यापक संबंध रखते हैं। यह ''सुरक्षा संस्कृति'' आपदा जोखिम से संबंधित अन्य संस्थाओं जैसे राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ शिक्षण सांस्थानिक मशीनरी के सामुहिक प्रयास का परिणाम होगी।

राज्यों की तरफ से, पाठ्यक्रम तैयार करने में शामिल है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर तथा अपने खुद के राज्य के बारे में विशेष रूप से आपदाओं के जोखिम पर आयु-उचित सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक जानकारी को शामिल करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य बड़ावा और बिमारी की रोकथाम की संकल्पनाओं और सेहत को बेहतर बनाने वाले व्यवहारों तथा जीवन कौशलों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

स्कूल सुरक्षा को बड़ावा देने के लिए जरूरी प्रशिक्षणों की सूची अनुबंध 3 में उपलब्ध है

समान शिक्षा तथा बाल अनुकूल तरीकों का उपयोग

समान शिक्षा की रणनीति आपदाओं पर विशेष ज्ञान प्रदान करने के लिए एक परखी हुई रणनीति है और इसके द्वारा यह स्कूल के अन्दर हर विद्यार्थी तक अपनी पहुँच बनाती है।

यह रणनीति न केवल विशाल पहुँच का बचन देती है बल्कि स्कूल में तथा समुदाय के अंदर छात्रों में नेतृत्व खूबियों के विकास में भी सहायता देती है। आपदा प्रबंधन के लिए समान शिक्षा को अभिजात वर्ग की मध्यस्थता (पीरमेडिएशन) तक बढ़ाया जाए, यदि छात्रों द्वारा खुद सुलझाये जाने वाली तंग करने या हिंसा की किसी घटना का मामला बनता हो।

यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि कौशल निर्माण की प्रक्रिया में उचित बाल अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाए। गीतों, झलकियों, कटपूतली शो, चित्रकारी प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी, निबंध/स्लोगन लेखन तथा प्रदर्शनियों का उपयोग ज्ञान अन्तरण तथा बच्चों को कौशल प्रदान करने के परखे हुए तरीके हैं

3.5 जोखिम की नियमित मॉनिटरिंग तथा योजना का संशोधन कार्य

राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देशों के क्रिर्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से मानव संशाधन मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के कार्यों को राज्य शिक्षा विभाग तथा एसडीएमए द्वारा मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है।

एसएसए रूप रेखा में स्कूल ढ़ांचागत सुविधाओं की व्यवस्था पर व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए गए है। इसलिए बच्चों के आपदा जोखिम को मॉनिटर करने एसडीएमए के संयोग से उनकी विशेष स्थितियों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा उचित संकेतकों को विकसित/मॉनिटर किया जाए।

राज्य/जिला स्तर पर शिक्षा मशीनरी को सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को मजबूती देने की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल उन्हीं स्कूलों को बाल मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियामावली, 2010 के अन्तर्गत बाल अधिकार के उपनियम (4) 1.5 के अन्तर्गत 'मान्यता प्रमान पत्र' जारी किया जायेगा जो भवन संहिताओं में निर्दिष्ट सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं। इस अनुपालन के काम को नियमित आधार पर मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नियमित आधार पर सभी स्कूलों में सुरक्षा पेरामिटरों की मॉनिटरिंग के लिए अन्य नियामक प्राधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा एक प्रक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी मौजूदा मॉनिटरिंग फारमेट में स्कूल सुरक्षा पर पैरामिटरों को अनिवार्यरूप से शामिल करना होगा।

इसके अलावा, हर जिले को, जैसा उचित समझे, ब्लाक स्तर पर स्कूल सुरक्षा की देखरेखा तथा उसे सुकर बनाने के लिए ब्लाक शिक्षा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को पदनामित करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए की यह स्कूल छात्रों तथा अध्यापकों के लिए 'सुरक्षित' रहें, यह महत्वपूर्ण है कि स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा तिमाही आधार पर स्कूल विकास योजनाओं का नियमित रूप से समीक्षा तथा अपडेट करने का कार्य किया जाए। समाधानहीन खतरों तथा अतिरिक्त नए खतरों के मामले हो सकते हैं जो स्कूल विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो जाएं। इनको समीक्षा तथा अपडेट कार्य की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खतरे हो सकते हैं जिनको बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा व्यक्तित्व के लिए आवधिक रूप से मॉनिटर किया जाना है जैसे शौचालयों की सफाई तथा पेयजल की गुणवत्ता।

खंड 4

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

विषय वस्तु

4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)

4.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

4.3 राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण

4.4 राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण

4.5 जिला तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण

4.6 एससीईआरटी तथा डीआईईटी

4.7 स्कूल प्रशासन

4.8 स्कूलों के लिए अक्रेडीटेशन तथा पंजीकरण प्राधिरण

4.9 पंचायती राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय तथा संबद्ध विभाग

4.10 स्कूली बच्चे

4.11 गैर-सरकारी संगठन (स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय)

4.12 कारपोरेट निकाय

4.13 अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण एजेंसियां तथा संयुक्त राष्ट्र

4.14 मीडिया

4

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण हेतु स्कूली बच्चों के अधिकार को केवल एक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में इस बात पर बल दिया है कि आपदा प्रबंधन हर किसी का कर्त्तव्य है; किसी अकेले व्यक्ति या एजेंसी को भावी पीढ़ी के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन ढांचों के बीच एक अधिक व्यावहारिक संबंध की आवश्यकता है ताकि बच्चों और अध्यापकों के साथ-साथ उनके परिवारों की संपूर्ण बेहतरी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इन संस्थाओं को स्कूल समुदाय के साथ न केवल प्राथमिक जोखिमों (बाढ़, भूकंप आदि) बल्कि शिक्षा सुविधाओं जैसे सरकारी, सहायता प्राप्त या निजी स्वामित्व वाली में एक गुणवत्ता विषय के रूप में 'सुरक्षा' को एकात्मक रूप से परिभाषित करने के लिए जोखिमों तथा असुरक्षितताओं को रेखांकित करने के लिए साथ काम करने की जरूरत है।

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं।

4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) :

- शिक्षा प्राधिकरणों के साथ आपदा प्रबंधन योजना, नीतियों, प्रक्रियाओं और आपातस्थितियों के पहले, दौरान तथा बाद में स्कूल सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक तैयार करने में सहयोग देना तथा उनको शामिल करना। ऐसा एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक और/ किसी अन्य अधिकारी/एनजीओ/ एसडीएमए के एसईसी के भाग के रूप में निजी एजेंसियों के साथ सहयोजन के द्वारा किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि एसडीएमपी में स्कूल सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया जाता है।
- डीआरआर संबंधित शिक्षा को स्कूलों के औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ सहयोग करना तथा उनको प्रशिक्षण हेतु जानकारी प्रदान करना।
- स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों को अपने संबंधित स्कूलों में स्कूल सुरक्षा प्रयासों को करने के लिए प्रशिक्षण हेतु शिक्षा विभाग के साथ सहयोग करना तथा उनको प्रशिक्षण हेतु जानकारी प्रदान करना।

4.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) :

- शिक्षा प्राधिकरणों के साथ आपदा प्रबंधन योजना, नीतियों, प्रक्रियाओं और आपातस्थितियों के पहले, दौरान तथा बाद में स्कूल सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानक तैयार करने में सहयोग देना तथा उनको शामिल करना। ऐसा एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक

और/किसी अन्य अधिकारी/एनजीओ/ एसडीएमए के एसईसी के भाग के रूप में निजी एजेंसियों के साथ सहयोजन के द्वारा किया जा सकता है।

- डीडीएमए को यह सुनिश्चित करना है कि डीडीएमपी में स्कूल सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया जाए।
- स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों को अपने संबंधित स्कूलों में स्कूल सुरक्षा प्रयासों को करने के लिए प्रशिक्षण हेतु शिक्षा विभाग के साथ सहयोग करना तथा उनको प्रशिक्षण हेतु जानकारी प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी स्कूली बिल्डिंगें चाहे वह सरकारी हो या निजी, बच्चों की सुरक्षा के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग कोडों तथा निर्देशों का अनुपालन करें।
- अध्यापकों और अभिजात शिक्षाविदों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण सुलभ कराना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्कूल सुरक्षा के विषयों के शामिल करना।
- स्कूलों को शामिल करके जिला स्तरीय कार्यकलापों में आवधिक कृत्रिम कवायदों का संचालन करना।

4.3 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा प्राधिकरण:

- आधारढांचा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा संसाधन प्रदान करना ताकि यह आपदा-रोधी रहे और राज्यों को स्कूल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्कूलों को आपदा जोखिम समुत्थानशील तथा बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु उनकी रेट्रोफिटिंग के लिए संसाधन आवंटित करना।
- संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना।
- बच्चों को न केवल सार्थक रूप से आपदा के विषयों बल्कि 'संपूर्ण सुरक्षा' पर शिक्षा देने के लिए एनसीईआरटी को अनुदेश जारी करना।

4.4 राज्य स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण:

- स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और इसके लिए एसडीएमए के साथ सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग लेने तथा तकनीकी समाधानों हेतु सक्रियता से मिलकर काम करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां, नीतियां, विनियमों को तैयार करना कि बनाए जा रहे नए स्कूल/कक्षाएं आपदा समुत्थानशील तथा बच्चों के अनुकूल हैं।
- स्कूलों को आपदा जोखिम समुत्थानशील तथा बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु संसाधन आवंटित करना, समय-समय पर उनकी बिल्डिंगों की मरम्मत कराना।
- संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना।
- बच्चों को न केवल सार्थक रूप से आपदा के विषयों बल्कि 'संपूर्ण सुरक्षा' पर शिक्षा देने के लिए एससीईआरटी को अनुदेश जारी करना।

- सभी स्कीमों तथा शिक्षा वृद्धि कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के मॉनिटरिंग फॉर्मेटों में 'स्कूल सुरक्षा से जुड़े संकेतक (इंडीकेटर्स) शामिल हों।
- अन्य विभागों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि उनके संसाधनों का शिक्षण संस्थाओं में या उनके आस-पास जब भी अनुप्रयोग हो तो उनको 'सुरक्षा' दृष्टि से तेयार किया गया है।
- स्कूल सुरक्षा विषयों में अध्यापकों और छात्रों को शामिल करने के लिए प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) से मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एससीईआरटी अनुदेश देना; प्रत्येक डाइट के मास्टर प्रशिक्षक बाद में अपने संबंधित जिलों के संसाधन संबंधित व्यक्तियोंको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

4.5 जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्राधिकरण:

- स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकारना और इसके लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और तकनीकी समाधानों को मांगने के लिए डीडीएमए के साथ सक्रियता से इस काम में लगना।
- स्कूल सुरक्षा विषयों पर इनपुट देने के लिए डीडीएमपी की तैयारी में डीडीएमए के साथ काम करना। डीउीएमपी में ये सुनिश्चित करना कि स्कूल किसी आपदा के गुजरने के तुरंत बाद, जितना जल्दी मुमकिन हो, शैक्षणिक कार्यकलाप जारी रखने के लिए स्वतंत्र हों।
- बच्चों और अध्यापकों की सुरक्षा के बारे में रोकथाम, प्रशमन, तैयारी तथा मोचन कार्यों को करने के लिए स्कूल प्रबंधन के उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां, नीतियां और विनियम लागू करना कि बनाए जा रहे सभी नए स्कूल/कक्षाएं आपदा समुत्थानशील और बाल-अनुकूल हों।
- स्कूलों को आपदा समुत्थानशील और बाल-अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग के लिए संसाधन आबंटित करना।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों में स्कूल सुरक्षा शामिल करने के लिए डाइट को अनुदेश देना। अन्य संबद्ध विभागों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना कि शैक्षणिक संस्थानों में या उनके आस-पास इस्तेमाल होने वाले संसाधनों को 'सुरक्षा' दृष्टि के साथ तैयार किया गया है।
- केवल उन्हीं सकूलों को प्राधिकार देना जो बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा बिल्डिंग कोडों में निर्दिष्ट सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हों और उनका अनुपालन उनके द्वारा जारी है।
- प्रत्येक डाइट से मास्टर प्रशिक्षकों को, स्कूल सुरक्षा विषयों पर अध्यापकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण सुलभ कराना।

4.6 एससीईआरटी और डाइट:

- स्कूल में सकूल सुरक्षा अजेंडा: इस बात को मान्यता देना कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है

जिसके लिए अध्यापकों का सुग्राहीकरण और प्रशिक्षण आवश्यक है।

- आपदा जोखिम और इनको कैसे प्रशमित किया जाए के विषयों पर रोचक मॉड्यूल तैयार करना इन्हें प्रशिक्षकों और अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित वर्तमान कार्यक्रमों मे शामिल में शामिल किए जाने की जरूरत है।
- पाठ्यक्रम में शामिल करे जाने के लिए आपदा जोखिम के विषय पर बच्चों के अनुकूल तथा बौद्धिक रूप से प्रेरक विषय-वस्तु तैयार करना।
- स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों को प्रशिक्षण देना।
- स्कूल स्तर पर सहकर्मी प्रशिक्षकों के लिए माड्यूल तैयार करना।
- स्कूल सुरक्षा के विषयों पर अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को उन्मुख करने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल प्राधिकारी स्कूल पाठ्यक्रमों और सभी कक्षाओं में स्कूल समय-सारणी में आपदा जोखिम प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए स्थान बनाएं।
- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल हफ्ते में कम से कम एक बार स्कूल सुरक्षा पर फॉलो-अप कार्यों के लिए समय निश्चित करें।
- रूटीन मॉनिटरिंग के भाग के रूप में सुरक्षा पर निर्देशक शामिल हों।
- स्कूल विकास योजनाओं में सुरक्षा विषय शामिल करने के लिए स्कूलों को समर्थन देना।
- स्कूलों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के बारे में स्कूलोंके बीच क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देना।

4.7 स्कूल प्रशासन:

- साप्ताहिक ज्ञानऔर जीवन-कौशल निर्माण कार्यकलापों के लिए समय देना।
- स्कूल विकास योजना में स्कूल सुरक्षा विषयों शामिल करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक और गैर-अध्यापक स्टाफ आपदा जोखिम कमी के काम में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करें।
- सुरक्षा योजना कार्यों में पीआरआई/शहरी स्थानीय निकायों और संबद्ध विभागों को शामिल करना।
- सुनिश्चित करना कि स्कूल सुरक्षा हेतु उचित मानदंड और मानकों का उनकी स्कूल बिल्डिंगों और कार्यों में अनुप्रयोग किया जाता है।
- एसडीपी तैयार करने और लागू करने के लिए बच्चें समेत स्कूली समुदाय और चुने हुए प्रतिनिधियों की सक्रिय और न्यायोचित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बच्चों को परिवारों और समुदायों में आपदा जोखिम कमी संबंधी जानकारी फैलाने के काम में भाग लेने के लिए उनको बढ़ावा और समर्थन देने के लिए उचित रणनीति अपनाना।

4.8 स्कूलों के लिए मान्यता तथा पंजीकरण प्राधिकारी:

- स्कूलों की मान्यता हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त के रूप में सुरक्षित शिक्षण वातावरण निर्दिष्ट करना।

- मान्यता प्रमाणन के लिए आवेदन करते समय, नए स्कूलों में एक स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापक की नियुक्ति का आग्रह करना।
- निजी स्कूलों की मान्यता जारी रखने के लिए एक मॉनिटर-योग्य संकेतक के रूप में सुरक्षा को शामिल करना।

4.9 पंचायती राज संस्थाएं/शहरी स्थानीय निकाय और संबद्ध विभाग :

- स्कूल सुरक्षा योजना कार्यों में प्रभावी भागीदारी करना।
- सुनिश्चित करना कि स्कूल में और यहाँ तक कि बाहर भी, सभी आधारढांचा और उनके माध्यम से हुए सभी संस्थापन स्थानीय आपदा के प्रति समुत्थानशील हों।

4.10 स्कूली बच्चे:

- स्कूल में तथा बाहर पढ़ाए जा रहे डीआरआर (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) सिद्धांतों और प्रथाओं पर व्याख्यानों में भाग लेना और उन्हें याद करना।
- अपने समुदाय में आपदा जोखिमों का संज्ञान लेना और उन्हें दूर करने के लिए सक्रियता से समाधान की मांग करना।
- एसडीपी तैयार करने और लागू करने के काम में भागीदारी करना।
- स्कूल और समुदाय में कृत्रिम कवायदों में भाग लेना और उपलब्ध उचित मोचन रणनीतियों में शामिल होना।
- स्कूल में डीआरआर पर प्रापत की गई जानकारी को सक्रियता से अपने परिवारों और समुदायों में फैलाना।

4.11 गैर-सरकारी संगठन (स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय):

- स्कूल सुरक्षा की आावश्यकता पर नीति-निर्माताओं को समुग्राहीकृत करना और सुरक्षा हेतु एक व्यवस्थित प्रतिबद्धता की हिमायत करना।
- स्कूल सुरक्षा में आने वाले व्यवधानों को दूर करने पर स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों और एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण सुलभ कराना और प्रदान कराना ताकि वे स्कूल सुरक्षा प्रयासों में प्रभावी ढंग से भागीदारी कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने तथा प्रस्तुत करने के लिए और नए अभिनव तरीकों पर अनुसंधान हेतु शिक्षण/वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करना।
- स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और विश्व स्तरों पर स्कूल सुरक्षा के लिए गठबंधन में तथा सहयोगी मंचों में भाग लेना और अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में अर्जित ज्ञान तथा समझ को लेकर लाना।
- आपदा जोखिम कमी के विषय को मुख्य विकास कार्यों विशेषत: स्कूली शिक्षा में शामिल करने की हिमायत करना।
- डीआरआर शिक्षण सामग्री तथा उपकरणों के ज्ञान के सुदृढ़ीकरण और प्रसार के लिए समन्वय करना।

- स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुद्दों पर वृहतर दाता समुदाय और नीति-निर्माताओं को उन्मुख तथा शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाना।
- एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण नजरिए से शिक्षा क्षेत्र की पिरयोजना की कारगरता के आकलन हेतु मॉनिटरिंग उपकरणों के विकास को सुलभ बनाना।

4.12 कार्पोरेट निकाय:

- विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से स्कूली सुरक्षा को बढ़ावा देने के काम में समर्थन देना जैसे सुरक्षित स्कूलों का निर्माण, मौजूदास्कूलों की मरम्मत, सुरक्षा पर जागरूकता सृजन, छात्रों और अध्यापकों का क्षमता निर्माण आदि।
- सुनिश्चित करना कि किसी भी कार्पोरेट निकायों/कंपनियों के या उनकी सहायता से चलनेवाले सभी स्कूल सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं।

4.13 अंतर्राष्ट्रीय निधिपोषण एजेंसियां तथा संयुक्त राष्ट्र

- स्कूली सुरक्षा के प्रति रणनीतिक तरीकों को तैयार करने और ज्ञान साझा करने के काम में समर्थन।
- स्कूल सुरक्षा तथा सभी रूपों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के काम में अच्छी प्रथाएं तैयार करना तथा उनको बढ़ावा देने के काम में सहयोग करना।

4.14 मीडिया:

- डीआरआर मुद्दों तथा तरीकों पर प्रशिक्षण में भाग लेना।
- मुद्दों और समाधानों को पर्यापत कवरेज देकर स्कूली सुरक्षा के काम को आवश्यक गति प्रदान करने के काम में पहल करना।
- आपदा की रिर्पोटिंग, विशेषत: बच्चों और स्कूलों के संबंध में आचार-संहिता तैयार करने, उसके संशोधन और क्रियान्वयन के काम में भागीदारी करना।

खंड 5

हितधारकों के लिए कार्यबिंदु

विषय-वस्तु

5.1 राष्ट्रीय स्तर

5.2 राज्य स्तर

5.3 जिला स्तर

5.4 स्कूल स्तर

5 हितधारकों के लिए कार्यबिंदु

स्कूल सुरक्षा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्कूल के स्तरों पर ठोस कार्रवाइयां की जानी है। विभिन्न हितधारकों के लिए 'इन कार्यबिंदुओं' का एक सारांश नीचे दिया गया है:

5.1 राष्ट्रीय स्तर:

	कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
1.	**बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना**		
i	स्कूल सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का जारी किया जाना और राज्य द्वारा अनुपालन को मॉनिटर करना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)	जब और जैसे जरूरी हो
2.	**स्कूल सुरक्षा की मॉनिटरिंग**		
i	राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देश को लागू करने के काम को मॉनिटर करना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और एनडीएमए	वार्षिक
5.2	**राज्य स्तर:**		
1.	**बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना**		
i.	एसडीएमए के भाग के रूप में राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित करना।	एसडीएमए	तुरंत, एक बार
ii.	विभाग के स्कूल सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करने के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के साथ उसकी समीक्षा तथा कार्य को मिलकर करना।	एसडीएमए/ शिक्षा विभाग	अर्द्धवार्षिक
iii.	शिक्षा विभाग को विषय पर सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर एक स्कूल सुरक्षा सलाहकारी समिति को बनाना।	एसडीएमए/शिक्षा विभाग	तुरंत, एक बार

कार्य		किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
iv.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के अंदर शिक्षा आधारढांचा तथा उस पर सहायक कार्रवाई पर फोकस करना।	एसडीएमए	वार्षिक
v.	जिला स्तर पर स्कूल सुरक्षा स्तर पर सलाहकार समिति गठित करने के लिए डीडीएमए को सलाह देना।	एसडीएमए	तुरंत, एक बार
2.	**सुरक्षा के लिए योजना बनाना**		
i.	स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए जिला-वार इंवेंटरी तैयार करना।	एसडीएमए/शिक्षा विभाग	तुरंत, एक बार
ii.	एसएसए/आरएमएसए के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों को प्रमुख स्थान देना।	राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी)-एसएसए/आरएमएसए	वार्षिक
iii.	यह सुनिश्चित करना की राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्कूल सुरक्षा सरोकार शामिल किए गए हैं।	एसडीएमए	वार्षिक
iv.	यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया गया है, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करना।	एसडीएमए/शिक्षा विभाग	वार्षिक
3.	**सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन**		
i.	स्कूल डिजाइन में स्थानीय बातों को शामिल किए जाने के लिए स्कूलों को सलाह देने के लिए तकनीकी एजेंसियों का एक पैनल नियुक्त करना और स्कूल सुरक्षा पर राष्ट्रीय तथा राज्य मानदंड।	शिक्षा विभाग/एसपीडी-एसएसए	तुरंत, एक बार
4.	**स्कूल सुरक्षा पर क्षमता निर्माण**		
i.	राज्य/जिला में प्रासंगिक विभिन्न प्राकृतिक खतरों पर छात्रों तथा स्कूल स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग/एसडीआरएफ/रेडक्रॉस के साथ मिलकर कार्य योजना विकसित करना, विभिन्न आपदाओं के क्या करें तथा क्या न करें संबंधी हिदायतें, प्राथमिक चिकित्सा आदि।	एसडीएमए/राज्य शिक्षा अधिकारी (एसईओ)/ एसपीडी-एसएसए	तुरंत, एक बार

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
ii. विभिन्न खतरों पर बच्चों की समझ विकसित करने और मोचन के क्या करें तथा क्या न करें संबंधी हिदायतों को तैयार करने के लिए उनकी देशी भाषा में बाल-अनुकूल आईईसी सामग्री विकसित करना।	एसडीएमए/शिक्षा विभाग	वार्षिक
iii. स्कूल सुरक्षा विषयों से जुड़े कामों में अध्यापकों तथा छात्रों को लगाए जाने के लिए बाल-अनुकूल शिक्षण सामग्री तैयार करना।	एससीईआरटी/राज्य शिक्षा विभाग	वार्षिक
iv. स्कूल सुरक्षा संकल्पनाओं तथा प्रक्रियाओं पर संसाधन उपलब्धकर्ताओं/शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित करना।	एससीईआरटी/एसडीएमए	वार्षिक
v. आपदाओं द्वारा प्रभावित बच्चों के लिए मनो-सामाजिक सहायता पर संसाधन उपलब्धकर्ताओं/शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित करना।	एससीईआरटी/एसडीएमए	वार्षिक
5. स्कूल सुरक्षा को मॉनिटर करने का काम		
i. राज्य पर राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशानिर्देश का कार्यान्वयन मॉनिटर करना	एसडीएमए और शिक्षा विभाग	वार्षिक
5.3 जिला स्तर:		
1. बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना		
i. डीडीएमए के भाग के रूप में राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित करना।	जिला कलक्टर/डीडीएमए	तुरंत, एक बार
ii. जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को सुनिश्चित करना जिनमें जिला के अंदर शिक्षण आधारढांचा तथा सहायक कार्रवाई पर एक फोकस शामिल होगा।	जिला कलक्टर/डीडीएमए	वार्षिक
iii. जिला स्तर पर एक स्कूल सुरक्षा सलाहकार समिति गठित करना।	जिला कलक्टर/डीडीएमए	तुरंत, एक बार

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
iv. सभी स्कूलों में सुरक्षा पैरामीटरों पर नियमित आधार पर मॉनिटरिंग के लिए एक प्रक्रम स्थापित करना। प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे किसी भी मौजूदा मॉनिटरिंग फॉर्मेट में अनिवार्य रूप से स्कूल सुरक्षा पर पैरामीटर शामिल होंगे।	जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ)	तुरंत, एक बार
2. सुरक्षा के लिए योजना बनाना		
i. सुनिश्चित करना कि डीडीएमपी में स्कूल सुरक्षा सरोकार शामिल हैं	डीडीएमए	वार्षिक
ii. आपात स्थितियों के लिए अग्रिम में बाल-अनुकूल स्थलों का डिजाइजन तैयार करना।	डीडीएमए	वार्षिक
iii. सुनिश्चित करना कि सभी नए स्कूलों में सुरक्षा लक्षण शामिल हों	डीईओ	तुरंत, एक बार
iv. सुरक्षित बनाए जाने के लिए स्कूलों की ब्लॉक-वार इंवेंटरी तैयार करना (क्षेत्र में प्रासंगिक सभी खतरों, के लिए रेपिड विजुअल स्क्रीनिंग या किसी अन्य मैथडोलॉजी द्वारा आकलित स्कूलों की भौतिक स्थिति, आप-पास में स्थित खतरनाक उद्योगों आदि सहित।	डीडीएमए	तुरंत, एक बार
3. सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन		
i. स्कूल सुरक्षा पर राज्य तथा राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल डिजाइन में स्थानीय बातों पर स्कूलों को सलाह देने के लिए तकनीकी एजेंसियां नियुक्त करना।	डीईओ	तुरंत, एक बार
ii. सुनिश्चित करना कि सभी मौजूदा और नए स्कूल राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन करें। इसके आलवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी मानदंड का भी पालन करने की जरूरत है।	डीडीएमए	तुरंत, एक बार

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
iii. मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 के अंतर्गत बच्चों के अधिकार के उप-नियम (4) 15 के अंतर्गत 'मान्यता प्रमाण पत्र' केवल उन स्कूलों को जारी करना जो राज्य द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हों।	डीईओ	तुरंत, एक बार
iv. स्कूलों में असंरचनात्मक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।	डीईओ	तुरंत, एक बार
4. स्कूल सुरक्षा हेतु क्षमता निर्माण		
i. स्कूल के सभी अध्यापकों/पदनामित कर्मचारियों का प्रशिक्षण	डीडीएमए/डाइट	तिमाही
ii. डाइट विभाग को अपने पूर्व-सेवा तथा सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भाग के रूप में सुरक्षा पहलुओं पर सीधे तौर पर खुद अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।	डीईओ/डाइट	तिमाही
iii. स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों को स्कूल सुरक्षा संकल्पना और स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों पर प्रशिक्षण देना।	डीडीएमए/डाइट	तिमाही
iv. आपदाओं द्वारा प्रभावित बच्चों के लिए मनो-सामाजिक सहायता पर अध्यापकों का प्रशिक्षण।	डीडीएमए/डाइट	अर्द्ध वार्षिक
v. किसी आसन्न आपदा की स्थिति में स्कूल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर एसएमसी का क्षमता निर्माण उदाहरण के लिए लड़कों, लड़कियों तथा अध्यापकों की साफ-सफाई की जरूरतें, प्रयोगशालाओ में आग से निपटना, रासायनिक/खतरनाक सामग्रियों से निपटना आदि।	डीडीएमए/डाइट	तिमाही
5. स्कूल सुरक्षा को मॉनिटर करना		
i. सभी स्कूलों में सुरक्षा पैरामीटरों पर नियमित	डीईओ	तिमाही

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
आधार पर मॉनिटरिंग के लिए एक प्रक्रम स्थापित करना। प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे किसी भी मौजूदा मॉनिटरिंग फॉर्मेट में अनिवार्य रूप से स्कूल सुरक्षा पर पैरामीटर शामिल होंगे।		
ii. ब्लॉक स्तर पर स्कूल सुरक्षा की देखरेख तथा उसे सुलभ कराने के काम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, जैसा उचित हो, को हिदायतें जारी करना।	डीईओ/शिक्षा विभाग	तुरंत, एक बार
5.4 स्कूल स्तर		
1. बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण हेतु सांस्थानिक प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना		
i. बैठकों, रैलियों आदि के माध्यम से स्कूल सुरक्षा कार्यों में प्रभावी ढंग से भागीदारी के लिए स्थानीय समुदाय तथा स्कूल को एकत्र करना और प्रतिबद्ध योजना तथा कार्रवाई सुनिश्चित करना।	एसएमसी	चालू/जब और जैसे जरूरी हो
ii. एक स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापक (एफपीटी) को उसके/उसकी स्कूल में नेमी प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में स्कूल स्तर पर सुरक्षा संबंधित कार्रवाइयों प्रचालनात्मक रूप से संचालित करने के लिए पदनामित करना।	प्रिंसिपल/हेडमास्टर	तुरंत, एक बार
iii. यह सुनिश्चित करने के लिए पीर एजुकेटर्स/ प्रशिक्षकों की पहचान करना तथा उसका एक काडर विकसित करना ताकि स्कूल में हर छात्र तक सुरक्षा संदेश, विभिन्न आपदाओं की क्या करें तथा क्या न करें संबंधी हिदायतें, प्रक्रियाएं तथा प्रोटोकॉल हो सके।	स्कूल सुरक्षा फोकल बिंदु अध्यापक	वार्षिक
iv. स्कूल विस्तार तथा विकास, अग्नि बचाव कवायदें, बिजली का चले जाना, मौसम की घटनाओं हेतु स्कूल की जल्दी छुट्टी करना, चिकित्सा तथा सुरक्षा चिंताएं, घुसपैठिया या सड़क/बस दुर्घटनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए समावेशी पराक्रम स्थापित करना।	एसएमसी/पीआरआई	तुरंत, एक बार

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
2. सुरक्षा हेतु योजना बनाना		
i. स्कूल विकास योजना में शामिल करने के लिए एक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से आवश्यकताओं का एक विस्तृत विश्लेषण संचालित करना।	फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक
ii. आवश्यकता प्रक्रिया के आकलन में बच्चों, एसएमसी, पीआरआई/यूएलबी और अन्य संगत हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक
iii. स्कूल विकास योजना में स्कूल सुरक्षा पहलुओं (संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक) को शामिल किया जाना सुनिश्चित करना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक
iv. जोखिम को नियमित मॉनिटर तथा योजना को अपडेट करते रहना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक
v. स्कूल के लिए आपातकालीन मोचन योजना तैयार करना (जिसमें सुरक्षित निकास प्रक्रियाएं, प्रयोगशाला में रसायनों का रखरखाव, आपातकालीन उपकरणों और सामग्री आदि का स्टॉक रखना)	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक
3. सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन		
i. समीक्षा करना तथा ऐसे कार्यकलाप तुरंत करना जिनको स्कूल स्वयं आयोजित कर सके जैसे गैर-संरचनात्मक प्रशमन का काम उदाहरण के लिए सुरक्षित निकास रास्तों को बाधारहित बनाना, ढीले-ढाले ढंग से लटकी हुई वस्तुओं को अच्छी तरह फिट कराना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	तिमाही
ii. स्कूल विकास योजना के उन घटकों को साझा करना जिन्हें पंचायत योजनाओं में शामिल किया जा सके और इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	वार्षिक

कार्य	किसके द्वारा	कब/आवृत्ति
iii. बच्चों, के बीच सुरक्षा जागरूकता को मजबूती देने के लिए अवसर उत्पन्न करने के लिए समय-सारणी तथा स्कूल कलैन्डर में संसोधन करना, कृत्रिम कवायदें आदि।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक/एसएमसी	तिमाही
4. स्कूल सुरक्षा हेतु क्षमता निर्माण		
i. स्कूल सुरक्षा के बारे में छात्रों तथा अध्यापकों की प्रशिक्षण जरूरतों की पहचान करना।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक	वार्षिक
ii. स्थानीय खतरों तथा जोखिम न्यूनीकरण पर बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम उदाहरण के लिए नुक्कड़-नाटक, रैलियां, चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन आदि।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक	साप्ताहिक
iii. स्कूल सुरक्षा पर नियमित कृत्रिम कवायदें तथा संबंधित सबकों की अनुवर्ती कार्रवाई; सुरक्षा उपकरण के उपयोग पर व्यावहारिक प्रदर्शन आदि जिनमें स्कूल सुरक्षा दिवस/डीआरआर दिवस आदि का साल में एक बार आयोजन।	प्रिंसिपल/फोकल बिंदु अध्यापक	मासिक
iv. सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन, योजना तैयार करने तथा सुरक्षा ऑडिट पर एसएमसी का प्रशिक्षण।	फोकल बिंदु अध्यापक	तिमाही
v. आपदाओं की हिदायतों, कृत्रिम कवायद आदि पर पीर एजुकेटर्स का प्रशिक्षण	फोकल बिंदु अध्यापक	
5. स्कूल सुरक्षा को मॉनिटर करना		
i. स्कूलों में अग्नि सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा समेत सुरक्षा ऑडिट संचालित करना (ग्रामीण स्कूलों में दोपहर के खाने और अग्निशमन प्राधिकरणों द्वारा अनापत्ति)	एसएमसी	तिमाही
ii. समाधान न ढूंढे जाने वाले खतरों और उत्पन्न हो सकने वाले नए खतरों की पहचान के लिए स्कूल विकास योजनाओं की समीक्षा करना।	एसएमसी	तिमाही

खंड 6

विषय-वस्तु

1 आपदा में मौतों की संख्या और स्कूल आधारढांचे को हुई क्षति पर आशुचित्र–वैश्विक और राष्ट्रीय

2 भारत में स्कूल सुरक्षा पर प्रयास

3 प्रशिक्षण

4 एक सुरक्षा दृष्टि के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए राज्य राष्ट्रीय एकीकृत संरचनाएँ

5 एक सुरक्षा दृष्टि के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए जिला राष्ट्रीय एकीकृत संरचनाएँ

6 स्कूली की बिल्डिंगों के विशेष विवरण

7 खतरा तलाश अभ्यास के माध्यम से सुरक्षा आवश्यकता आकलन की प्रक्रिया बिहार का अनुभव :

8 स्कूल आपदा प्रबंधन मॉडल टेम्पलेट- राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

अनुबंध

अनुबंध-1

आपदा में मौतों की संख्या और स्कूल बुनियादी ढांचे को क्षति पर स्नैपशॉट - वैश्विक और राष्ट्रीय

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण बच्चों के जीवन खोने या गंभीर चोटों से पीड़ित होने के कई उदाहरण हैं। 2008 के हैती भूकंप में, देश के आधे स्कूलों को नष्ट हो गए थे (रिलीफवेब 2008)। 2008 का सिचुआन भूकंप 7,000 से अधिक स्कूल भवनों (रिलीफवेब, 2008) के गिरने का कारण बना। 2005 के कश्मीर भूकंप के परिणामस्वरूप सीमा के दोनों ओर 8000 से अधिक स्कूलों के गिरने के साथ-साथ विद्यालय (बीबीसी 2005) में 18000 से अधिक बच्चे काल के ग्रास बन गए थे।

199 5 में हरियाणा के डबवाली के एक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह में आग लगने से लगभग 200 बच्चों की मौत हो गई थी; कुल 31 शिक्षकों की मृत्यु हुई और 95 घायल हो गए थे। 2001 में गुजरात भूकंप के दौरान 11,600 से अधिक स्कूल नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गए थे; 971 छात्र मारे गए और 1,051 घायल हो गए। (विश्व बैंक 2001)। इसी तरह तमिलनाडु के कुम्भकोणम में भगवान कृष्ण स्कूल में लगी आग 94 बच्चों की मृत्यु का कारण बनी तथा 2004 की सुनामी के बाद दक्षिण भारत में और हजारों छात्रों और शिक्षकों पर असर डाला।

इस प्रकार के मामलों के कारण मुख्य रूप से निर्माण की खराब गुणवत्ता, लचीली आपदा सुविधाओं की कमी और स्कूलों के खराब रखरखाव हैं। तथ्य यह है कि स्कूल वास्तव में ऐसे स्थान हैं जहां छात्र और शिक्षक अपने दिन का एक बड़ा भाग व्यतीत करते हैं। इसलिए इन स्थानों की गुणवत्ता आपदा जोखिम के प्रति उनकी असंवेदनशीलता की धारक है।

अनुबंध - 2

भारत में स्कूल सुरक्षा के प्रयास

भारत में आज दिखाई पड़ने वाला स्कूल सुरक्षा का एजेंडा, देश की विभिन्न सरकारों द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के संवैधानिक जनादेश को बढ़ावा देने के प्रयासों से बेहतर हुआ है। इस पर आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) 1992 में की गई थी, जिसके चलते ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओबी) गैर औपचारिक शिक्षा (एनएफई); शिक्षक शिक्षा (टीई); महिला समाख्या (एमएस); राज्य विशिष्ट बुनियादी शिक्षा परियोजना, जैसे आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (एपीपीईपी), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सहित कई योजनाएं और कार्यक्रम सामने आए। एसएसए का जनादेश स्वत: ही शिक्षा के प्रावधान से परे चला जाता है; किंतु इसका उद्देश्य 6 -14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 'उपयोगी' और 'गुणवत्तापूर्ण' प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। एसएसए की लगभग 33% निधि सिविल कार्यों पर व्यय की जाती है जिनमें स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाएं और ब्लॉक संसाधन केंद्रों/शहरी संसाधन केंद्रों/क्लस्टर संसाधन केंद्रों का निर्माण शामिल हैं। ये संपूर्ण स्कूल विकास योजना के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं जिसमें सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना शामिल है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है।

आपदा प्रबंधन को केंद्रीय बोर्ड स्कूल पाठ्यक्रम के साथ-साथ कई राज्य शिक्षा बोर्डों में एक विषय के रूप में आरंभ किया गया था। गृह मंत्रालय ने स्कूल सुरक्षा पर 2004 में एक पुस्तिका तैयार की थी।

2002 में आरंभ किया गया भारत सरकार-यूएनडीपी जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (डीआरएम) एशिया के सबसे बड़े समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक था। आपदाओं का सामना करने की विधियों पर छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, डीआरएम कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल सुरक्षा पर एक घटक विकसित किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य "शिक्षा के माध्यम से स्कूल सुरक्षा और सुरक्षित स्कूलों का निर्माण" था। इसने आपदाओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा से संबंधित भागीदारी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों को एक साथ ला दिया। इस घटक के अंतर्गत, स्कूल स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई थी और स्कूल समुदाय के लिए मॉक-ड्रिल सहित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केंद्र और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के शिक्षकों, स्कूल प्रबंधकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन पर 125,817 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। कार्यक्रम में 4,105 स्कूलों के साथ 130,000 बच्चों को नामांकित किया गया। (स्रोत: यूएनडीपी, 2007)।

इसके समानांतर, संयुक्त राष्ट्र निकायों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और आईएनजीओ के काम ने एजेंडा के वास्तविक पहलुओं को विकसित करने में कई उपयोगी सबक प्रदान किए हैं।

इस प्रकार, स्कूल सुरक्षा एजेंडा कई वर्षों में विकसित हुआ है। शुरुआत में इसे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए (बच्चों के अनुकूल) कक्षाओं के सरल प्रावधान के रूप में देखा गया था ताकि उनकी शिक्षा निरंतर प्रगतिशील हो सके, संरचनात्मक सुरक्षा, गैर-संरचनात्मक शमन के साथ-साथ सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्कूल समुदाय की क्षमता निर्माण को विस्तारित किया जा सके।

सरकार के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में आपदा प्रबंधन चिंताओं को दूर करने के लिए ईएफसी प्रारूप के संशोधन के संबंध में वित्त मंत्रालय के संप्रेषण का सार।

वित्त मंत्रालय से सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजे गए वित्त मंत्रालय के पत्र (संदर्भ सं.37 (4)/पीएफआईआई /2003) दिनांक 19 जून,2009 के अनुसार, सभी चालू और नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अनुमोदन के लिए व्यय और वित्त समिति (ईएफसी) के नोट में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है :

"3 एफ) क्या परियोजना में भूमि सुधार अथवा मौजूदा भूमि उपयोग योजनाओं में परिवर्तन सहित संरचनात्मक/इंजीनियरिंग परिसंपत्तियों का कोई निर्माण/संशोधन शामिल हैं? यदि हां, तो आपदा (ओं) (प्राकृतिक और मानव निर्मित) की रोकथाम और शमन में शामिल लागत को परियोजना लागत में पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता होगी।

(ख) संभावित जोखिमों की पहचान करें और परियोजना स्थलों के स्थान के साथसाथ माध्यमिक साक्ष्य के माध्यम से - भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन से होने वाली संभावना और प्रभाव का विश्लेषण करें।

(ग) लागू भूमि उपयोग के निर्देश, विनियम क्या हैं? विनियमों में निहित निवारक उपायों की सूची दें जिनका अनुपालन किया जाना है तथा अनुपालन की पुष्टि करें।

(घ) जोखिमों के प्राथमिकता के आधार पर, परिकल्पित किए जा रहे किन शमन उपायों, संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों, पर विचार किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि कि चयनित शमन उपायों के कार्यान्वयन से नए जोखिम नहीं सृजित होंगे।

(.ड) पुष्टि कि संरचना के डिजाइन और इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड 2005, उपयुक्त बीआईएस कोड और एनडीएमए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस मैनुअल, सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्रालय मैनुअल, रेलवे बोर्ड मैनुअल, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन शहरी विकास मंत्रालय) मैनुअल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मैनुअल और केंद्रीय जल आयोग मैनुअल आदि जैसे अन्य स्रोतों से भी परामर्श लिया गया है, जहां वे लागू होते हैं।

(च) क्या समग्र परियोजना लागत में आपदा उपचार/शमन उपायों की लागत शामिल है?

(छ) यह भी इंगित करें कि जोखिम मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध जानकारी और सहायक साक्ष्य के आधार पर किया गया है तथा शमन माप वैधानिक और अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और वर्तमान परिस्थितियों में सबसे व्यवहार्य हैं।"

सभी मंत्रालयों के चल रहे और नए कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुमोदन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की व्यय और वित्त समिति (ईएफसी) की आवश्यकताओं में एक बड़ा संशोधन किया गया है। 2009 से, सभी मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत ईएफसी नोट में आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रश्नों का एक अच्छी तरह परिभाषित सेट शामिल है।

कार्यान्वयन के लिए एसएसए विन्यास को आरटीई अधिनियम के आलोक में संशोधित किया गया है और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक समर्पित अध्याय शामिल किया गया है। अध्याय स्पष्ट रूप से स्कूलों में आपदा प्रतिरोध की आवश्यकता और महत्व को सामने लाता है और संदर्भ के लिए मानदंड और कोड भी देता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन संस्थानों ने संगठन द्वारा प्रशासित केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों में स्कूल कक्षाओं आदि के लिए स्थान मानदंड और उचित आकार निर्दिष्ट किए हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विस्तार रणनीति का मार्गदर्शन करता है। छात्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, आरएमएसए द्वारा कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर कक्षों, हेडमास्टर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालयों के निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। यह योजना माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा पहुंच में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहलु के तौर पर पर्यावरण प्रबंधन की पहचान करती है। यह स्थान/साइट चयन संबंधी मुद्दों, और दुष्कर स्थलों से संबंधित डिजाइन संबंधी मुद्दों को संदर्भ देती है। आरएमएसए विशेष उद्देश्य डिजाइन, निर्माण से संबंधित प्रभावों, और सुविधाओं के प्रावधान और रखरखाव से संबंधित मुद्दों को भी संदर्भ देती है।

कठिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जन-जातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए अगस्त ,2004 में भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना आरंभ की गई थी। प्रारंभ में इसे एक अलग योजना के रूप में चलाया गया, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से एसएसए के साथ इसका विलय कर दिया गया। आरटीई अधिनियम, 2009 के साथ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, और कार्यान्वयन के एसएसए फ्रेमवर्क को आरटीई अधिनियम के संगत संशोधित किया जा रहा है, एसएसए के केजीबीवी घटक को बाल अधिकारों और बाल पात्रताओं के समग्र संदर्भ में और अधिनियम की भावना और शर्तों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), जिसे 2005 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया था, स्कूल निर्माण कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए आदर्श कोड के रूप में कार्य करता है। कोड संरचना के कार्यात्मक उपयोग, इसकी विफलता के गंभीर परिणामों के चित्रण, इसकी भूकंप-उपरांत कार्यात्मक आवश्यकता, ऐतिहासिक मूल्य अथवा आर्थिक महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के भवनों के संरचनात्मक डिजाइन का निर्धारण करने के लिए 'महत्वपूर्ण कारक' के तौर पर उत्तरदायी है । धारा 5.3.4 में, कोड स्कूलों के महत्व को इंगित करने वाली अन्य सभी इमारतों की तुलना में स्कूलों के 1.5 के महत्व फैक्टर को दर्शाता है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्कूल सुरक्षा के समर्थन में अपने निर्णय दिए हैं और स्कूल भवन विनिर्देश तथा निर्माण में एनबीसी मानकों के अनुपालन पर जोर दिया है। रिट याचिका (सिविल) संख्या 2004 का 483 में 13 अप्रैल 2009 के अपने निर्णय में, न्यायालय ने मान्यता दी कि "शिक्षा के अधिकार में सुरक्षित स्कूलों का प्रावधान शामिल है" और निम्नलिखित सहित स्कूल सुरक्षा के कई पहलुओं पर निर्देश दिये हैं :

क. स्कूलों में अग्नि सुरक्षा उपाय (बिंदु 3.1 पृष्ठ 23)

ख. स्कूल शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण (बिंदु 3.2 पृष्ठ 25)

ग. स्कूल भवन बिल्डिंग निर्दिष्टीकरण (बिंदु 3.3 पृष्ठ 27)

घ. मंजूरी और प्रमाण पत्र (बिंदु 3.4 पृष्ठ 29)

रिट याचिका (सिविल) संख्या 2004 का 483 के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि "स्कूल के संरचनात्मक पहलू का मूल्यांकन समय-समय पर किया जा सकता है ... संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों को राष्ट्रीय भवन संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। सुरक्षा प्रमाणपत्र केवल उचित निरीक्षण के बाद जारी किया जाना चाहिए। कर्तव्य में लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।"

सुरक्षा के संरचनात्मक पहलुओं को संबोधित करने में नीतिगत रुचि के अतिरिक्त, स्कूल पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुए हैं। एसएसए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राज्य बोर्डों ने स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में आपदा शिक्षा शुरू की है।

सरकार की सबसे हालिया पहल देश के 22 राज्यों के 43 जिलों में एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित की गई राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा परियोजना थी। कार्यक्रम, जो अनिवार्य रूप से प्राथमिक प्रकृति का है, में निम्नलिखित घटक शामिल थे :

I. राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति का गठन

II. क्षमता निर्माण (मॉडल स्कूल डीएम योजना का विकास, जिसमें मॉक ड्रिल के प्रारूप शामिल हैं; चयनित स्कूलों में स्कूल डीएम योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन; राज्य स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, शिक्षकों और छात्रों के प्रशिक्षण)

III. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी सामग्री के लिए मॉडल टेम्पलेट्स के विकास के साथ-साथ स्थानीय भाषा में आईईसी सामग्री का अनुवाद और प्रिंटिंग और सभी स्कूलों में आईईसी सामग्री का प्रसार)

IV. गैर-संरचनात्मक शमन उपाय (गैर-संरचनात्मक शमन दिशानिर्देशों का विकास /रैपिड विजुअल सर्वेक्षण के लिए जांचसूची और परियोजना स्कूलों में ऐसे उपायों के कार्यान्वयन)

V. प्रदर्शनोत्तर पुन: संयोजन

राज्य सरकारों की पहल

असम सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई मॉडल आपदा प्रबंधन योजना की तर्ज पर आपदा प्रबंधन योजना को सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य बना दिया है। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के लिए उचित डिजाइन के साथ जीएमसी/जीएमडीए द्वारा अनुमोदित निर्माण को अपनाना अनिवार्य बनाने के लिए असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन और नियंत्रण) अधिनियम, 2006 में भी संशोधन किए जा रहे हैं। नियमित अंतराल पर मॉक-ड्रिल करना अनिवार्य बनाने के लिए भी एक संशोधन किया गया है। राज्य के प्रत्येक स्कूल में अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंगविशर) भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

गुजरात सरकार ने स्कूलों में आपदा सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने और स्कूलों में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जोखिम को कम करने के लिए गुजरात स्कूल सुरक्षा पहल- I और II नामक दो कार्यक्रम शुरू किए हैं। चरण 1 में कार्यक्रम 152 स्कूलों पर केंद्रित है जिसमें आपदा प्रबंधन की मूलभूत बातों पर बल देते हुए 1,00,000 छात्रों (प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाएं) तथा 1,500 शिक्षकों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम की दीर्घकालिक वहनीयता के भाग के रूप में, गैर-संरचनात्मक शमन उपायों का मूल्यांकन पूरा किया गया था और सभी परियोजना स्कूलों में स्कूल सुरक्षा क्लब खोले गए हैं। चरण 2 में, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के सभी 25 जिलों में आपदा जोखिम में कमी

लाने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का कैडर बनाने और जिला स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों के एक पूल के निर्माण के लिए काम कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षा संहिता 2013 के भाग के रूप में राज्य में अपने सभी स्कूलों को आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें स्कूल के विशिष्ट खतरों, अतिसंवेदनशीलता, संसाधनों और शमन के लिए योजना को शामिल किया गया है। मॉक-ड्रिल स्कूल सुरक्षा योजनाओं और स्कूल अग्नि सुरक्षा डीएम योजना के संचालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य ने बच्चों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ऑडियो-विजुअल सामग्री भी विकसित की हैं। इन सभी गतिविधियों को भारत सरकार - यूएनडीपी डीआरआर कार्यक्रम 2009-2012 के भाग के तौर पर किया गया है। राज्य में कुछ स्कूलों के पुन:संयोजन को एक अन्य पहल के भाग के रूप में भी किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने अपने परिपत्र सं.एफ .16/एस्टेट/सीसी/अग्नि सुरक्षा/2011/3298 से 3398, दिनांक 01/03/2011 के द्वारा विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा के संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की इमारतों में प्रवेश के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, कक्षा के कमरे में दरवाजों की संख्या, सीढ़ियां, अग्निशामक, बेसमेंट का उपयोग और अग्निशमन एवं पंपिंग व्यवस्था के लिए कैप्टिव जल संग्रहण शामिल है। सामान्य उपायों में, स्कूल भवन के निर्माण, बचाव मार्गों के रखरखाव, प्रयोगशालाओं और विद्युत सर्किटों में एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण करने के लिए गैर-दहनशील सामग्री के उपयोग पर निर्देश दिये गये हैं।

तमिलनाडु सरकार ने जीओ एमएस नं .1179, सार्वजनिक (कानून और आदेश) विभाग, दिनांक 20.7.2004 के क्रम में जीओ एमएस नं .131, स्कूल शिक्षा विभाग जारी रखा है। यह आदेश 16-07-2004 को तंजावुर जिले के कुम्भकोणम में श्री कृष्णा एडेड प्राइमरी स्कूल में आग दुर्घटना के कारण मौतों की घटना के लिए जांच आयोग का अनुसरण करता है। स्कूल सुरक्षा के संबंध में आयोग ने विशिष्ट सिफारिशें कीं। मौजूदा स्कूलों को दी गई मान्यता/अनुमोदन की पूरी समीक्षा की जानी है। उन स्कूलों के संदर्भ में जिन्होंने अनुमति/अनुमोदन/मान्यता प्राप्त नहीं की है, वहां अनुमति/अनुमोदन/मान्यता प्रदान करने की सिफारिश करने से पूर्व भौतिक सत्यापन द्वारा संबंधित निरीक्षण अधिकारी द्वारा सूक्ष्म स्तर पर मानदंडों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आधारभूत संरचना के रख-रखाव के लिए स्थल निरीक्षण के माध्यम से आवधिक निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संकट प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा पर शिक्षकों के लिए क्रैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सिफारिश की जाती है। राज्य ने 2012 में तमिलनाडु के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए उपायों का सुझाव देते हुए 2012 में अतिरिक्त आदेश जारी किए हैं। इनमें संरचनात्मक सुरक्षा उपाय, खुले कुएं, जल टैंक, सेप्टिक टैंक और सीढ़ियों आदि के संबंध में सुरक्षा सावधानियां शामिल हैं। आदेश में सुरक्षित पेयजल प्रावधान के साथ-साथ सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं की भी बात कही गई है। इसके अलावा, सुरक्षित विद्युत कनेक्शन, बैठने की व्यवस्था, असेंबली कक्षा कक्ष पर्यावरण और आधारभूत संरचना, स्कूल वाहन और प्राथमिक चिकित्सा को शामिल किया गया है।

हरियाणा सरकार : स्कूलों में सुरक्षा उपायों पर राज्य नीति: राज्य द्वारा स्कूलों में सुरक्षा उपायों से संबंधित एक विशिष्ट नीति तैयार की गई है। व्यापक रूप से दस्तावेज स्कूल की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालता है जिसमें संबंधित समितियों का गठन, फंड आवंटन के लिए कार्यप्रणाली, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यापक क्षेत्र और अनुपालन न करने के प्रभाव शामिल हैं।

अनुबंध – 3 : प्रशिक्षण

स्कूल सुरक्षा के संवर्धन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षणों की एक स्थूल सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रशिक्षण	सूचक सामग्री	सहभागी	जिम्मेदारी
1.	स्कूल सुरक्षा फोकल प्वांइट शिक्षक (एसएफपीटी) की टीओटी	• खतरे, जोखिम (विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस करने के साथ) और भेद्यता। • आरटीई के अंतर्गत सुरक्षित शिक्षा परिवेश और गुणवत्ता शिक्षा • स्कूलों में संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक सुरक्षा। • सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण • पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में आपदा तैयारी उपायों का एकीकरण • विभिन्न खतरों के लिए मॉक-ड्रिल • साइको सामाजिक समर्थन और परामर्श	स्कूल सुरक्षा फोकल प्वांइट शिक्षक (एसएफपीटी)	डीडीएमए/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2.	प्रधानाचार्यों और हेडमास्टरों का प्रशिक्षण	• राष्ट्रीय डीएम एक्ट और नीति, संस्थागत • फ्रेमवर्क • आरटीई के अंतर्गत सुरक्षित शिक्षा परिवेश और गुणवत्ता शिक्षा • आपके स्कूल के भीतर स्कूल सुरक्षा की योजना और कार्यान्वयन • पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में आपदा तैयारी उपायों का एकीकरण	प्रधानाचार्य और हेडमास्टर	डीडीएमए/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3.	स्कूल प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण	• स्कूल सुरक्षा संकल्पना • सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण • स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली एवं भुमिका/जिम्मेदारियां • स्कूल सुरक्षा योजना पर अभिविन्यास • स्कूल स्तर पर सुरक्षा ऑडिट	स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य	डीडीएमए/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

क्र.सं.	प्रशिक्षण	सूचक सामग्री	सहभागी	जिम्मेदारी
4.	समान पद वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण	• कक्षा में जीवन रक्षा कौशल की सुविधा • उनके संदर्भ के लिए प्रासंगिक खतरों के कारण और क्या करें और क्या न करें, अर्थात भूकंप (डक-कवर और होल्ड), आग (स्टॉप-ड्रॉप और रोल), बाढ़, चक्रवात सड़क सुरक्षा इत्यादि। • प्राथमिक चिकित्सा कौशल • जल गुणवत्ता निगरानी और कीटाणुशोधन	प्रत्येक कक्षा से चयनित छात्र	बाहरी संसाधित व्यक्तियों, यदि आवश्यक है, के साथ एसएफपीटी
5.	स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा और जीवन रक्षक कौशल पर प्रशिक्षण	• सामान्य चोटों, सांप काटने आदि के लिए प्राथमिक चिकित्सा, सीपीआर • चोट लगे व्यक्तियों को ले जाना • डायरिया प्रबंधन • रस्सी की सीढ़ी बनाना	एसएमसी, एसएफटीपी, समान पद शिक्षक	एसडीएमए/एनडीआरएफ, रेड क्रॉस, कोई अन्य बाहरी संसाधित व्यक्ति, यदि आवश्यक है

अनुबंध – 4

सुरक्षा लेंस के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए राज्य स्तरीय एकीकृत संरचनाएं

(स्कूल सुरक्षा चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुशंसित सुझाव लाल रंग में संकेतित हैं)

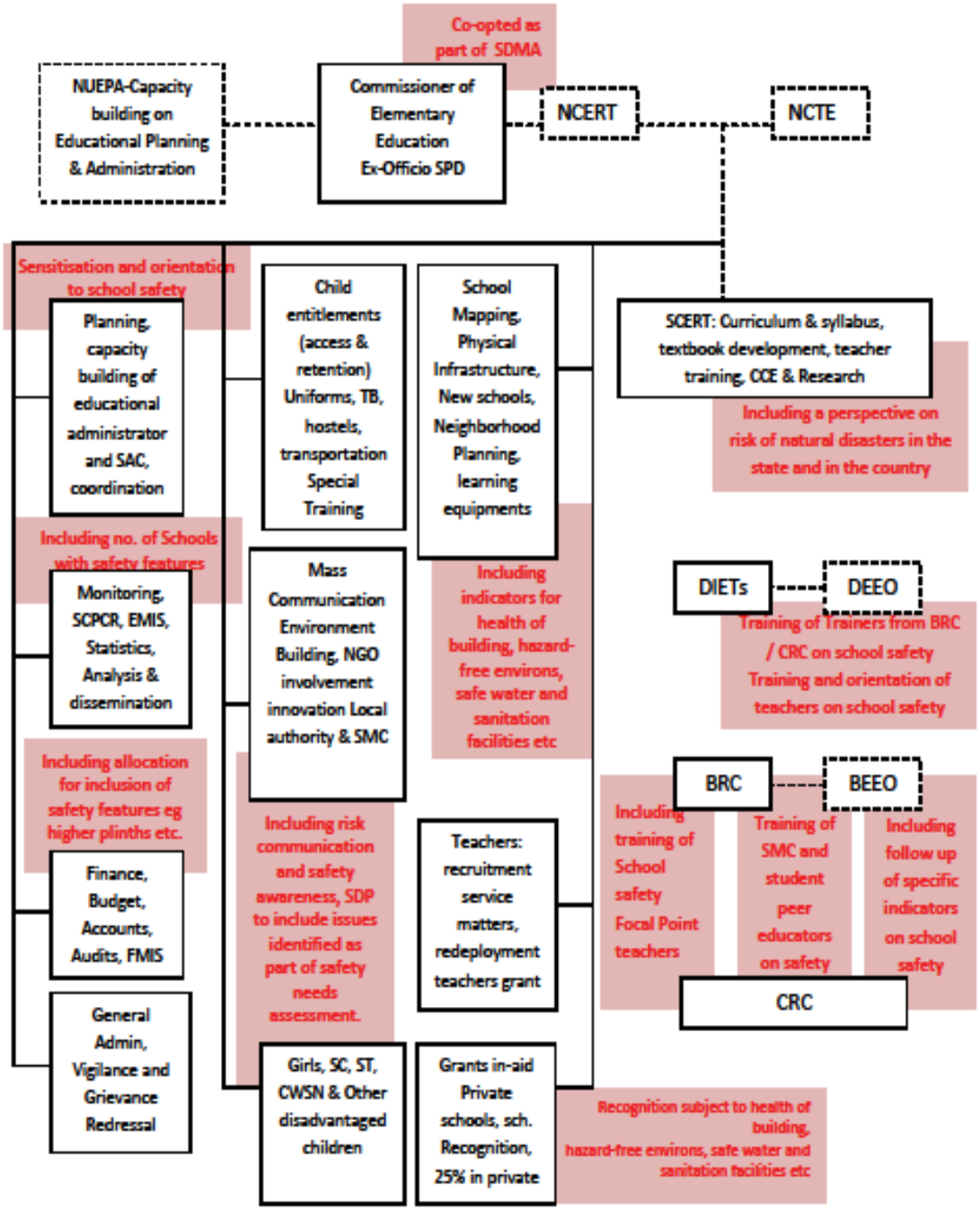

अनुबंध – 5

सुरक्षा लेंस के माध्यम से एसएसए और आरटीई के लिए जिला स्तरीय एकीकृत संरचनाएं

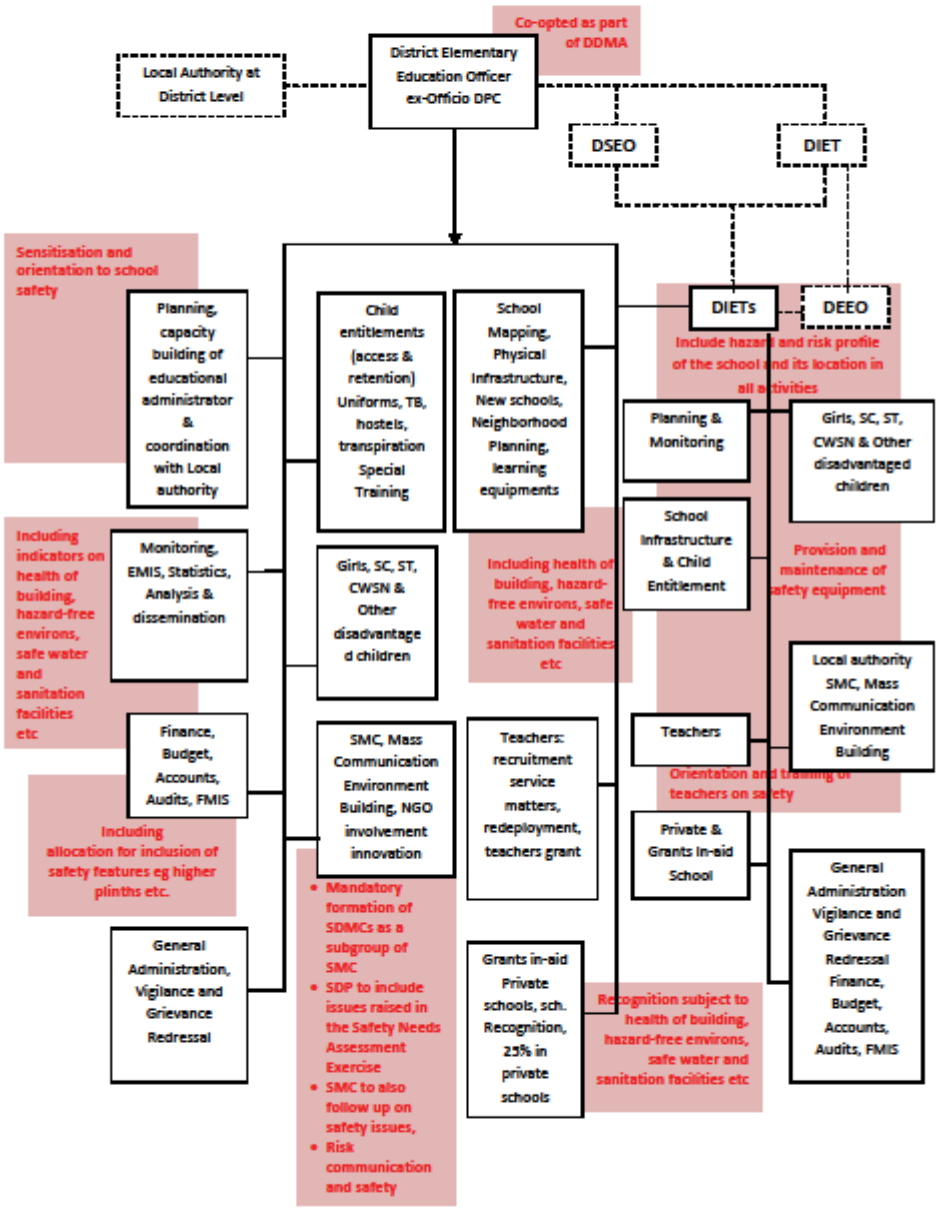

अनुबंध - 6

(स्कूल सुरक्षा चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुशंसित सुझाव लाल रंग में संकेतित हैं)

अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारतीय संघ की रिट याचिका (सिविल) 2004 की संख्या 483 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दलवीर सिंह ने स्कूल भवनों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम विनिर्देश निर्धारित किए हैं:

3.3. स्कूल भवन विनिर्देश :

i. स्कूली भवन अधिमानत: 'ए' क्लास निर्माण वाला होगा जिसकी दीवारें ईंट/पत्थर की तथा छत आरसीसी की होगी। जहां आरसीसी छत प्रदान करना संभव नहीं है वहां गैर-दहनशील अग्निरोधक गर्मी प्रतिरोध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

ii. नर्सरी और प्राथमिक विद्यालयों को एकल मंजिला भवनों में रखा जाना चाहिए और स्कूल भवनों को भूतल सहित तीन मंजिलों तक सीमित किया जाना चाहिए।

iii. स्कूल भवन ज्वलनशील और विषाक्त पदार्थों से मुक्त होगा, जो यदि आवश्यक हो, स्कूल भवन से दूर रखा जाना चाहिए।

iv. सीढ़ियां, जो बाहर निकलने या भागने के मार्ग के रूप में कार्य करती हैं, बच्चों की त्वरित निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड 2005 में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करेंगी।

v. भवनों का अभिविन्यास इस तरह से होगा कि जहां तक संभव हो सके भवन के चारों ओर खुली जगह के साथ उचित हवा परिसंचरण और प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो।

vi. मौजूदा स्कूल भवनों में मुख्य प्रवेश द्वार के साथ-साथ कक्षा के कमरों में जरूरत होने पर अतिरिक्त दरवाजे प्रदान किये जाएंगे। अपर्याप्त पाये जाने पर मुख्य निकास और कक्षा के दरवाजों का आकार बढ़ाया जाएगा।

vii. स्कूल भवनों का आग और प्राकृतिक आपदाओं के लिए बीमा और स्कूल के विद्यार्थियों का समूह बीमा किया जाना चाहिए।

viii. रसोई और अन्य गतिविधियों, जिनमें आग का उपयोग शामिल है, को स्कूल के मुख्य भवन से दूर एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

ix. सभी स्कूलों में जल भंडारण टैंक होंगे।

अनुबंध – 7

खतरे की खोज के अभ्यास के माध्यम से सुरक्षा आवश्यकता आकलन की प्रक्रिया : बिहार से अनुभव

बिहार सरकार के सहयोग से, यूनिसेफ और उसके सहयोगी गैर सरकारी संगठनों ने राज्य के आठ जिलों में एक स्कूल सुरक्षा पहल लागू की है। उनके अनुभव ने छात्रों, शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों से जुड़ी एक सहभागी पद्धति के माध्यम से स्कूल की सुरक्षा आवश्यकताओं की पहचान के लिए एक उपकरण के रूप में खतरे की खोज की संभावना पर प्रकाश डाला है। यह अभ्यास अच्छी तरह से परिभाषित सूक्ष्म-योजना प्लान की अभिव्यक्ति के साथ परिणाम देता है जिसे एसएसए के अलावा विभिन्न योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए पीआरआई के साथ जारी रखा जाता है। खतरों की खोज का पालन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

i. जोखिम और अतिसंवेदनशीलताओं की परिभाषा के अनुसार स्कूल आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों और फोकल प्वाइंट शिक्षकों का अभिविन्यास;

ii. बच्चों के शारीरिक कल्याण और स्कूल समुदाय को प्रभावित करने वाले जोखिमों की प्रकृति पर चर्चा;

iii. बच्चों द्वारा शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करने वाले जोखिमों की प्रकृति पर चर्चा;

iv. जोखिम की खोज के लिए समूहों को छोटे समूहों में संगठित करना;

v. अलग-अलग समूहों द्वारा स्कूल के अंदर और बाहर जोखिम और भेद्यता की पहचान;

vi. छोटे समूहों द्वारा जोखिम पहचान का प्रलेखन और फोकल पॉइंट शिक्षक सहित बड़े समूह को प्रस्तुति देना;

vii. खतरों की खोज के अभ्यास के दस्तावेज़ीकरण के लिए सुझाया गया प्रारूप :

क्र.सं.	स्कूल के अंदर और बाहर रहने वाली भेद्यता की सूची	शामिल जोखिम	सुरक्षा का संभावित विस्तार	स जोखिम, भेद्यता से संबंधित पिछली घटना(एं)

viii. छोटी और लंबी अवधि में कार्रवाई के लिए जोखिमों की प्राथमिकता;

ix. समाधानों, निधियों के स्रोतों, जिम्मेदारियों और टाइमलाइन को सूचीबद्ध करने के लिए सूक्ष्म योजना का विकास।

अनुबंध – 8

स्कूल डीएम योजना मॉडल टेम्पलेट - राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)

खंड 1 : प्रस्तावना :

क स्कूल प्रोफाइल (अनुबंध 8 (i) में फॉर्मेट संलग्न)

ख योजना का लक्ष्य और उद्देश्य

ग स्कूल की भौगोलिक स्थिति।

दिशानिर्देश टिप्पणी :

- योजना का यह खंड अनुलग्नक -1 में दिए गए विवरणों के अनुसार स्कूल से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसमें योजना के उद्देश्य, हितधारकों का भी उल्लेख करना चाहिए जो योजना का उपयोग करेंगे और सदस्य, जो योजना को कार्यान्वित करने, समीक्षा करने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- इस खंड में स्कूल का नक्शा भी शामिल हो सकता है।.

खंड 2 : खतरे का जोखिम और भेद्यता आकलन

क. गैर संरचनात्मक मूल्यांकन (सभी शिक्षकों तथा चयनित छात्रों द्वारा समूह अभ्यास में व्यावहारिक रूप से किया जा सकता है)

ख. संरचनात्मक मूल्यांकन (सिविल अभियंता लाइसेंस प्राप्त भवन सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा)

ग. स्कूल परिसर के बाहर खतरों की पहचान करना (सड़क सुरक्षा, औद्योगिक खतरे, रासायनिक खतरे, खुली नाली बाढ़ आदि)

घ. पिछली आपदाओं/दुर्घटनाओं के डेटाबेस, जिन्होंने स्कूलों को प्रभावित किया है।

ङ. स्कूल परिसर के भीतर संवेदनशील स्थानों की पहचान करना

च. मुख्य निष्कर्षों और शमन के लिए कार्रवाई की पहचान का सारांश।

दिशानिर्देश टिप्पणी :

योजना का यह खंड स्कूल भवन के भीतर विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक तत्वों से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों की पहचान करने पर केंद्रित होगा।

स्कूल निर्माण में गैर-संरचनात्मक और संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान के लिए एक समिति गठित की जा सकती है जिसमें स्कूल प्रशासन (शारीरिक शिक्षा शिक्षक सहित), निकटतम अग्नि स्टेशन के अधिकारी/ सिविल डिफेंस पोस्ट के

वार्डन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर/नर्स/स्वास्थ्य कर्मचारी) निकटतम स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल/नर्सिंग होम से, निकटतम पुलिस स्टेशन के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, एसएसए, नगर निगम जिला परिषद के सदस्य, जो इमारत में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान करने में मदद कर सकते है, शामिल हो सकते हैं। इसी तरह, यह समिति स्कूल परिसर के बाहर खतरे की पहचान भी कर सकती है, विशेष रूप से स्कूल भवन के बाहर सड़क/यातायात से संबंधित खतरे, औद्योगिक (रासायनिक खतरे) खतरे, जो स्कूल के आसपास ऐसे उद्योग के स्थित होने के कारण हो सकते हैं।

खतरों की खोज की यह गतिविधि स्कूल में बिजली पैनल के अनुचित स्थान में लगे होने, बिजली के खुले पैनलों, नंगी तारों, यदि कोई हैं, अलमारियों और फर्नीचर के अनुचित स्थान पर रखे होने, बचाव मार्ग में बाधा या ऐसा सामान जो भूकंप के दौरान गिर सकता है, जैसे ग्लास पैनल, फ्लावरपॉट इत्यादि, की पहचान करने में सहायता करेगी।

योजना का यह खंड स्कूल या स्कूल के आसपास के किसी भी पिछली किसी आपदा के विवरण या दस्तावेज भी प्रदान कर सकता है।

खंड 3 : तत्परता

योजना के इस खंड में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए :

क. **स्कूल डीएम समिति का गठन, कोर टीम की संरचना और विभिन्न चरणों के दौरान इसकी भूमिका और जिम्मेदारियां।**

b. **उप दल** की रचना और आपदा के पहले, उसके दौरान और बाद में प्रत्येक उप-दलों/टास्क फोर्स की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान। स्कूल में निम्नलिखित टीम/कार्य बल शामिल हो सकते हैं।

i. जागरूकता जनन, चेतावनी और सूचना प्रसार टीम।

ii. निकासी दल।

iii. खोज और बचाव दल (केवल शिक्षक इस टीम के सदस्य होंगे)

iv. अग्नि सुरक्षा दल

v. प्राथमिक चिकित्सा दल

vi. बस सुरक्षा दल (प्रत्येक बस के लिए) -जहां लागू हो

vii. स्थल सुरक्षा दल

दिशानिर्देश टिप्पणी :

योजना का यह खंड तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपदा के लिए तैयारी का उच्च स्तर जीवन के नुकसान को कम करने और विशेष रूप से भूकंप के दौरान होने वाली चोटों की रोकथाम को कम करने में मदद करता है जिसके लिए कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि बाढ़, चक्रवात इत्यादि जैसे कुछ अन्य खतरों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होती है जिससे प्रतिक्रिया लेने के

लिए कुछ समय मिलता है। कल का भविष्य होने के नाते बच्चों के सुरक्षित सीखने के माहौल को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आपदाओं के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसका अभ्यास बनाए रखने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक स्कूल आपदाओं में बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उप समितियों के साथ स्कूल स्तर आपदा प्रबंधन समिति का गठन करे। स्कूल में गठित विभिन्न समितियों में शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ छात्रों के सदस्य शामिल होंगे। हालांकि कुछ समितियों, जैसे खोज और बचाव में छात्रों की सिफारिश नहीं की जाती है। स्कूल आपदा प्रबंधन समिति के लिए अनुशंसित संरचना निम्नानुसार है:

1. अध्यक्ष : प्रधानाचार्य
2. उप-प्रधानाचार्य, प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के प्रमुख
3. जोन के शिक्षा अधिकारी/उप-शिक्षा अधिकारी
4. पेरेंट-टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष
5. 4 छात्र (एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, हैड ब्वाय और हैड गर्ल)
6. राहत/राजस्व/आपदा प्रबंधन विभाग/जिला प्रशासन/नगर निगम के प्रतिनिधि
7. अग्निशमन सेवाओं (निकटवर्ती अग्निशमन स्टेशन से) के प्रतिनिधि या सिविल डिफेस कर्मी
8. पुलिस के प्रतिनिधि (निकटतम पुलिस स्टेशन से)
9. स्वास्थ्य विभाग (स्थानीय डॉक्टर) के प्रतिनिधि
10. सिविल डिफेंस से वार्डन

नीचे वर्णित उप समितियां स्कूल डीएम समिति (एसडीएमसी) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेंगी। निम्नलिखित उप-समितियां गठित की जा सकती हैं :

- जागरूकता जनन, चेतावनी और सूचना प्रसार टीम।
- निकासी दल।
- खोज और बचाव दल (केवल शिक्षक इस टीम के सदस्य होंगे)
- अग्नि सुरक्षा दल
- प्राथमिक चिकित्सा दल
- बस सुरक्षा दल (प्रत्येक बस के लिए)
- स्थल सुरक्षा दल

प्राथमिकता चिकित्सा और स्थल सुरक्षा दल के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवाओं तथा अग्निशमन स्टेशन के प्रतिनिधियों की पहचान की जा सकती है। आपदा के दौरान के साथ-साथ शांति काल में इन समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

ग. संसाधन इन्वेंटरी

i. स्कूल कैम्पस के अंदर उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाना : जिसे किसी आपदा स्थिति के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

ii. स्कूल के बाहर एक-पांच किलोमीटर की दूरी तक संसाधनों की पहचान और सूची बनाना।

क आपातकालीन उपचार के लिए निकटतम अस्पताल चिकित्सा केंद्र

ख पुलिस स्टेशन

ग फायर स्टेशन

iii. **प्रधानाचार्य के कक्ष में महत्वपूर्ण टेलिफोन नंबरों को अद्यतन करना**

iv. स्कूल द्वारा प्रत्येक बच्चे का **संपूर्ण स्वास्थ्य समस्या रिकार्ड** रखा जाएगा तथा उसके पहचान पत्र पर ब्लड-ग्रुप के साथ उसके माता/पिता/संरक्षक तथा वैकल्पिक व्यक्ति के **अद्यतन संपर्क विवरणों** को दर्शाया जाएगा।

v. **आपदा तैयार जांच-सूची** (अनुबंध 8 (ii) में संलग्न है)

घ. **अलार्म संस्थापन सहित स्कूल समय के दौरान छात्रों और अध्यापकों को सावधान करने के लिए तंत्र।**

ड.. **निकासी योजना के साथ स्कूल का नक्शा**) 8 अनुबंध)iii(में संलग्न है(।

च. **विभिन्न तैयारी गतिविधियों के संचालन तथा उन्हें लागू करने की योजना के साथ वार्षिक कैलेंडर**। इसमें स्कूल द्वारा वर्षभर में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों की सूची शामिल होगी।

छ. **मॉक-ड्रिल आयोजित करने के लिए कार्रवाई योजना** तथा कमियों की पहचान करने के लिए जांचसूची तैयार करना।

ज. **डीएम योजना को अद्यतन करने के कदम** - इसे करने की समय सीमा तथा प्रक्रिया को बताने के साथ-साथ शिक्षकों तथा अन्य गैर-शिक्षणस्टाफ की भूमिकाएं।

संसाधन इनवेंटरी के लिए दिशानिर्देशक टिप्पणियां :

तैयारी अभ्यास के भाग के तौर पर, प्रत्येक स्कूल को स्कूल डीएम किट विकसित करना अनिवार्य है। यह सुझाव दिया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा निकटतम अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ एक नेटवर्क स्थापित किया जाए। स्कूल डीएम किट के लिए खरीदे जा सकने वाले सामानों की सूचक सूची नीचे सूचीबद्ध की गई है। हालांकि, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक स्कूल में इस संसाधन सूची को और मजबूत करने के लिए अन्य बाहरी संसाधनों (एमपीएलएडी/एमएलएएलएडी आदि जैसे राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान) के प्रावधान होने चाहिएं।

i. स्ट्रेचर

ii. सीढ़ियां

iii. मोटी रस्सी

iv. टॉर्च

v. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स

vi. अस्थायी शेल्टर (टेंट और तिरपाल)

vii. रेत की बाल्टियां

viii. अग्नि शमन यंत्र

निकास योजना सहित स्कूल का नक्शा :

मंजिल-वार निकासी योजना तैयार करने और प्रत्येक मंजिल के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने की अनुशंसा की जाती है। मॉक-ड्रिल योजना आयोजित करने में मदद करने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के साथ निकासी टीम द्वारा निकासी योजना पर चर्चा की जा सकती है। (नमूना निकासी नक्शा अनुलग्नक 8 (iii) के रूप में संदर्भ हेतु संलग्न है)

मॉक-ड्रिल के लिए दिशानिर्देशक टिप्पणियां

मॉक-ड्रिल तैयारी योजना की रिहर्सल करने के तरीके हैं। यह तैयारी के अंतिम कदमों में से एक है।

भूकंप, आग आदि पर मॉक-ड्रिल आवधिक अंतराल पर हर छह महीने में अधिमानतः आयोजित किया जा सकता है और योजना को अद्यतन करने के लिए कमियों का आकलन किया जा सकता है। योजना के इस खंड में मॉकड्रिल और शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों की जिम्मेदारियों के संचालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, समर्थन के लिए स्कूल को अग्नि सेवा अधिकारी आमंत्रित करने चाहिएं और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। भूकंप ड्रिल के लिए पालन किये जाने वाले कदमों का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

भूकंप ड्रिल :

i. ड्रॉप, कवर और होल्ड का अभ्यास।

ii. धकेले और गिराए बिना 1 मिनट से कम समय में क्लासरूम को खाली करना।

iii. 4 मिनट से कम समय में स्कूल का खोली करना

iv. दोस्तों को तलाश करना।

v. कमजोर क्षेत्रों/अवसंरचना से दूर रहना।

vi. जिन्हें सहायता की जरूरत है उनकी मदद करना *(विशेष बच्चों को बचाने के लिए अग्रिम में टास्क फोर्स की पहचान करना)।*

आग/केमिकल दुर्घटना/ड्रिल :

i. कक्षा से निकासी

ii. ज्वलनशील तरल पदार्थों/केमिकलों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना।

iii. बिजली बंद करना तथा गैस कनेक्शनों को हटा देना अथवा बंद करना।

झ. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण :**

आपदा स्थिति में स्कूल जाने वाले समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और छात्रों तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक वर्ष उचित संख्या में शिक्षकों तथा छात्रों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए।

आपदा प्रबंधन पर शिक्षकों, गैर-शिक्षण स्टाफ तथा छात्रों के प्रशिक्षण के लिए कार्ययोजना में गठित सभी टास्क फोर्सों को शामिल करें तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित करें। इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों और छात्रों के विवरणों के दस्तावेजीकरण को शामिल किया जा सकता है।

ट. **जागरूकता निर्माण और संवेदीकरण :**

जागरूकता निर्माण/संवेदीकरण स्कूल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों/माता-पिता समेत सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के उद्देश्य हेतु तैयारी के उपायों का एक भाग है। यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जा सकता है जिसमें छात्रों/शिक्षकों आदि से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जहां स्कूल के सुरक्षा मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

स्कूल प्रबंधन द्वारा जागरूकता निर्माण के लिए कुछ उपाय निम्नानुसार किए जा सकते हैं :

क.. पोस्टर के माध्यम से, ऑडियो-विजुअल क्लिपें, वाद-विवाद का आयोजन, प्रश्नोत्तरी, खेलकूद क्रियाकलाप, ड्राइंग प्रतियोगिता, स्कूलों में रैली।

ख. स्कूल निकासी योजना तथा मौसम समाचार सूचना सहित स्कूल नोटिस बोर्ड पर महत्वपूर्ण सूचना का प्रदर्शन।

ग. सीखने के परिवेश को सुरक्षित बनाने के लिए सेमिनारों और व्याख्यानों का आयोजन करना तथा ऐसे सेमिनारों में माता-पिता की सहभागिता।

घ. तैयारी माह के तौर पर स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में सुरक्षा माह मनाना।

खंड 4 : प्रतिक्रिया :

क. वार्षिक कार्यक्रमों, खेल दिवस इत्यादि जैसे विशेष दिनों पर भगदड़ से बचने के लिए भीड़ प्रबंधन सहित खतरा विशिष्ट प्रतिक्रिया योजना।

ख. स्कूल शिक्षा जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। (आपदा स्थिति के दौरान और बाद में शिक्षा की डिलीवरी, विशेष रूप से उन मामलों में जहां स्कूल का उपयोग राहत आश्रय के रूप में किया जाएगा)।

ग. सरकार को आपातकालीन/आपदाओं की रिपोर्ट देना।

घ. विशेष सक्षम बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।

मार्गदर्शक टिप्पणी :

योजना का यह खंड आपदा स्थिति के दौरान शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को इंगित करने के लिए बहुत सटीक, स्पष्ट होना चाहिए। इस योजना में भूकंप, आग, बाढ़, चक्रवात या भगदड़ जैसी किसी उभरती आपातकालीन स्थिति अथवा किसी छात्र द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति में पालन किए जाने वाले कदमों का स्पष्टतया उल्लेख किया जाना चाहिए। इस योजना में स्कूल प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित स्थल से बच्चे को सुरक्षित निकाल कर उसके माता-पिता को सौंपने तक सहित बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इसमें प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले सभी अन्य कदम भी शामिल होंगे ताकि आपदा के दौरान तथा इसके तत्काल पश्चात विद्यालय में बिजली, पानी और भोजन और बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

खंड 5 : राहत उपाय

क. **निर्धारित समय के भीतर स्कूल द्वारा किए जाने वाले विभिन्न गैर-संरचनात्मक उपायों की सूची।**

i. स्पष्ट मार्ग, सीढ़ियां सुनिश्चित करना, जिन्हें निकासी मार्गों के रूप में उपयोग किया जाना है।

ii. रसायन शास्त्र प्रयोगशालाएं- रसायनों को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बोतलें सुरक्षित हैं और शटरिंग के खिलाफ संरक्षित हैं।

iii. अल्मारियों को स्टाफ रूम की दीवारों में फिक्स करना।

iv. पंखों और लाइटों को सीलिंग के साथ सुरक्षित करना।

v. अग्नि सुरक्षा उपाय।

ख. सुरक्षा ऑडिट

i. विद्युत सुरक्षा ऑडिट – किसी इलेक्ट्रिशियन द्वारा विद्युत प्रणाली की जांच।

ii. अग्नि सुरक्षा ऑडिट – आग के सभी संभावित स्रोतों की जांच तथा स्कूल के भीतर सभी ज्वलनशील मदों की पहचान करना।

iii. मिड-डे-मील के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करना।

iv. स्कूल में पानी की आपूर्ति की शुद्धता का ऑडिट।

v. रसोईघर तथा स्नानघरों में स्वच्छता स्थिति का निरीक्षण।

मार्गदर्शक टिप्पणी :

योजना का यह खंड स्कूल द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न राहत उपायों पर फोकस करेगा। राहत योजना एक दीर्घावधि अभ्यास है और इसलिए निश्चित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने की रणनीति को प्राथमिकतावार विभाजित करना अनिवार्य है। खतरे की प्रकृति और चोटों की संभावना तथा जीवन की हानि के आधार पर कार्रवाई की प्राथमिकता बनाना भी आवश्यक है। अल्मारियों को जकड़ने, निकास मार्गों को साफ रखने, लेबोरेटरी मदों के भंडारण का स्थान परिवर्तन करने, चेतावनी अलार्मों की संस्थापना आदि जैसे कुछ गैर-संरचनात्मक राहत कार्यों को न्यूनतम लागत खर्च करके तत्काल किया जा सकता है, कुछ अन्य राहत उपाय जैसे बड़े संरचनात्मक मरम्मत कार्यों को करने के लिए अधिक समय और धनराशि की जरूरत होगी।

राहत कार्य के भाग के तौर पर, स्कूल को बिजली विभाग/बोर्ड, अग्नि शमन सेवाएं, पीडब्ल्युडी आदि से अधिकारियों को शामिल करके आवधिक आग और बिजली सुरक्षा जांच भी करवानी चाहिए। स्कूल में पेयजल की शुद्धता तथा स्वच्छता स्थिति की जांच जैसे अन्य उपाय भी किए जाने चाहिएं।

(अनुबंध – 8 i)

स्कूल प्रोफाइल का विवरण

1. स्कूल का नाम और शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया कोड नंबर :
2. पिन कोड सहित डाक का पता :
3. संपर्क नंबर :
4. अध्यापकों की संख्या : पुरूष _____ महिला _____
5. छात्रों की संख्या : पुरूष _____ महिला _____
6. शारीरिक विकलांग छात्रों की संख्या : पुरूष _____ महिला _____
7. विकलांगता के प्रकार को स्पष्ट करें :
8. स्कूल भवन के निर्माण की तारीख :
9. स्कूल परिसर में भवनों की संख्या :
10. कक्षाओं की संख्या :
    - कैमिस्ट्री लैबोरेट्री की संख्या
    - फिजिक्स लैबोरेट्री की संख्या
    - बायोलोजी लैबोरेट्री की संख्या
11. तलों की संख्या :
12. सीढ़ियों की संख्या :
13. क्या वहां रसोईघर है? हां/नहीं ----------

    यदि है, क्या आपके पास गैस स्टोव अथवा ओपन फायर रसोईघर है अथवा कुकिंग गैस कनेक्शन है :
14. क्या आपके पास पृथक टॉयलेट है : लड़कों के लिए- हां/नहीं लड़कियों के लिए - हां/नहीं
15. पेयजल नलों की संख्या :
16. खेल के मैदान का आकार और खुला क्षेत्र :
17. लगाए गए अग्निशमन यंत्र :
    - यदि हां, तो अग्निशमन यंत्रों की संख्या :
    - पिछली बार इनकी जांच किस तारीख को हुई थी :
18. लगाई गई रेत की बाल्टियों की संख्या :
19. निकास ड्रिल का आयोजन - हां/नहीं :

यदि हां, पिछली बार किस तारीख को ड्रिल का आयोजन किया गया तथा कितने छात्रों ने भाग लिया :

(प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर)

(अनुबंध – 8 ii)

आपातकालीन प्रबंधन योजना जांचसूची

स्कूल का नाम और स्थान ..... दिनांक .....

		YES
1.	क्या संबंधित विभागों से आपातकालीन नंबरों की पुष्टि की गई है?	☐
2.	क्या आपातकालीन संपर्क नंबर प्रधानाचार्य के कक्ष में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए हैं?	☐
3.	क्या योजना में सरकारी सेवाओं तथा संबंधित शिक्षा प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाविधि का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है?	☐
4.	क्या कार्यस्थल से एक किलोमीटर के अंतर और तक के संभावित जोखिमों की पहचान की गई है?	☐
5.	क्या योजना में बाहर निकासी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है?	☐
6.	क्या प्रमुख कर्मियों - टास्क फोर्स टीम लीडरों, क्लास टीचरों, कार्यालय स्टाफ और छात्रों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है?	☐
7.	क्या आपातकाल के दौरान और बाद में छात्रों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से वर्णित हैं?	☐
8.	क्या योजना कक्षा v से कम के अति-संवेदनशील बच्चों पर बल देती है?	☐
9.	क्या योजना में विशेष शारीरिक, मानसिक और चिकित्सा आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान देती है?	☐
10.	क्या योजना इस बारे में बताती है कि डीएम टीम को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा?	☐
11.	क्या योजना आयोजित की जाने वाली मॉक-ड्रिल के लिए कैलेंडर प्रदान करती है?	☐
12.	क्या योजना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा पृष्ठांकित की गई है?	☐

(अनुबंध – 8 iii)

स्कूल निकासी योजना का नमूना

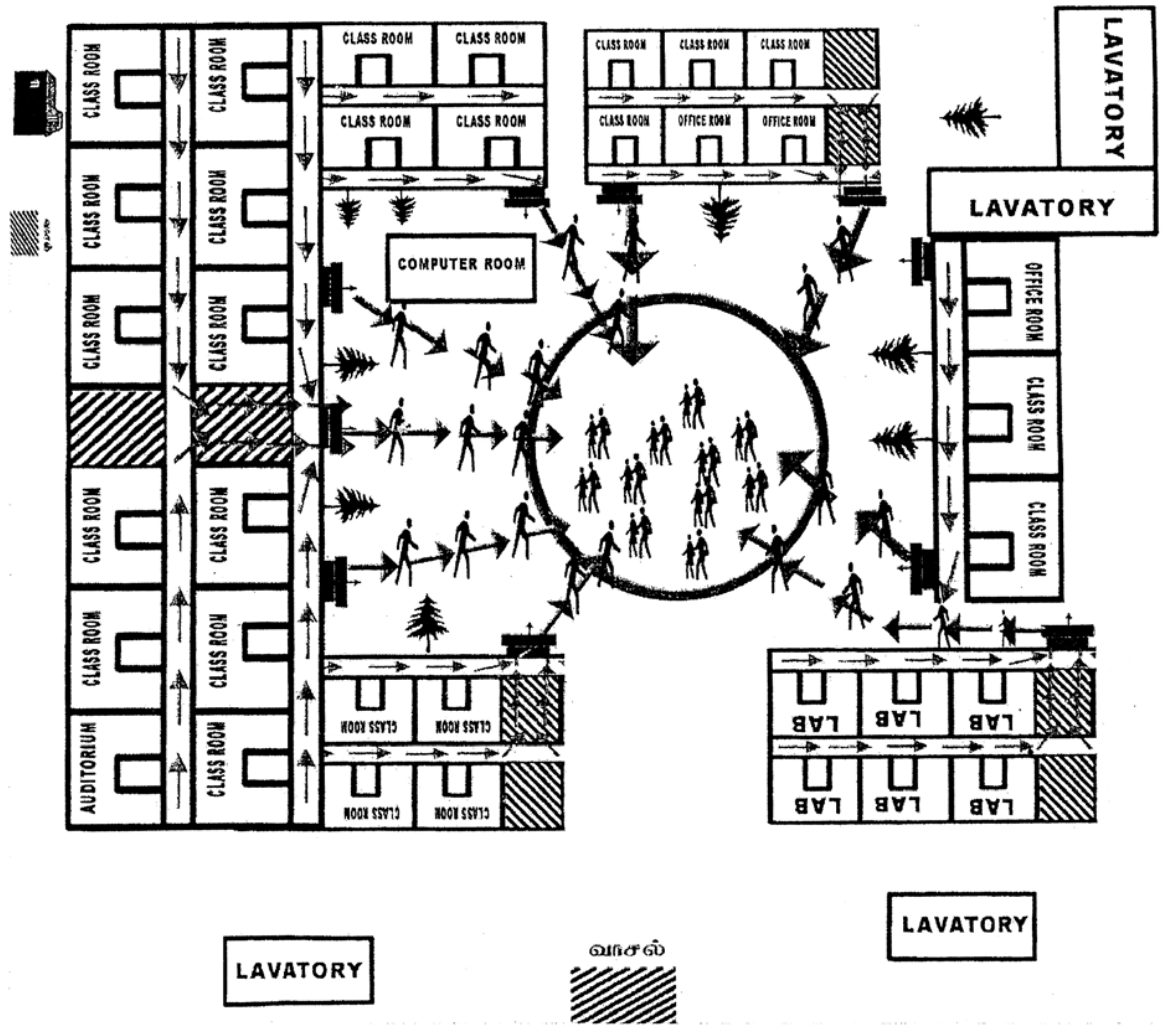

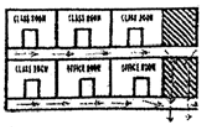

CLASS ROOM

KITCHEN

LAVATORY LAVATORY

महत्वपूर्ण योगदानकर्ता

1. श्रीमती नीलकमल दरबारी (आईएएस), पूर्व संयुक्त सचिव (क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं प्रशासन), एनडीएमए
2. श्री एस.पी. वासुदेवा, पूर्व परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, एनडीएमए
3. श्री सर्बजीत सिंह सहोता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ, युनिसेफ इंडिया
4. श्री वीरेंद्र सिंह, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
5. कर्नल रणबीर सिंह, संयुक्त सलाहकार (सीबीटी), एनडीएमए
6. श्रीमती नगमा फिरदौस, वरिष्ठ परामर्शदाता –सीबीडीएम, एनडीएमए
7. श्रीमती मोना आनंद, स्वतंत्र परामर्शदाता
8. श्री अमल सरकार, अवर सचिव (सीबीटी), एनडीएमए

कोर समूह

(जुलाई 2012 - मार्च 2013)

1.	डॉ. मुज्जफर अहमद, सदस्य एनडीएमए	अध्यक्ष
2.	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री वी.के. पिपरसेनिया, प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार	सदस्य
5.	श्री वी. थिरुपुगु, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सदस्य
6.	सुश्री सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए	सदस्य
7.	श्री के.एस. गांगर, अतिरिक्त सचिव, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली	सदस्य
8.	डॉ. सतेंद्र, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	सदस्य
9.	सुश्री मार्गारिटा तिलेवा, चीफ इमरजेंसी, युनिसेफ इंडिया	सदस्य
10.	श्री जी. पद्मनाभन, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट, यूएनडीपी इंडिया	सदस्य
11.	डॉ. मोहन संजनानी, निदेशक (सेवानिवृत्त), भारत सरकार	सदस्य
12.	श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सलाहकार (पीपी), एनडीएमए	सदस्य
13.	श्री शत्रुघ्न लाल, परामर्शदाता योजना आयोग	सदस्य
14.	प्रोफेसर संतोष कुमार, एनआईडीएम	सदस्य
15.	श्री हरि कुमार, जिया हजार्ड्स इंडिया	सदस्य

हमें संपर्क करें

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों - स्कूल सुरक्षा नीति पर अधिक जानकारी के लिए

कृपया संपर्क करें :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,

नई दिल्ली -110 029
दूरभाष :+91-11-26701700

ईमेल :
Web: www.ndma.gov.in

India Offset Press (An ISO 9001-2000 Certified Unit)
A-1, Mayapuri Industrial Area, Phase-1, New Delhi
+91-11-28116494, 9811526314
www.indiaoffsetpress.com